



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 61

अंक : 05

पृष्ठ : 52

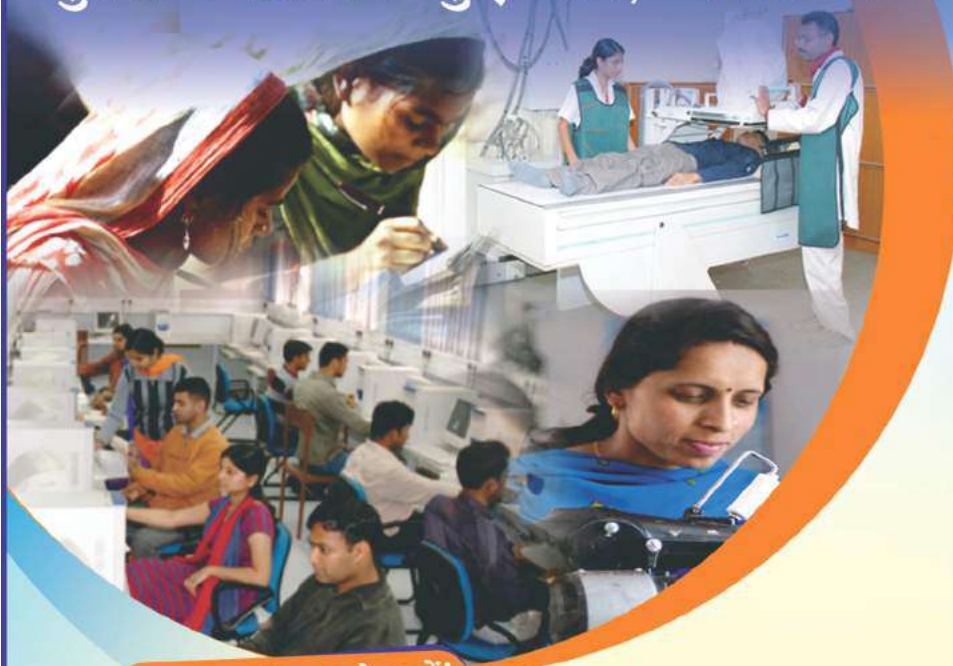
मार्च 2015

मूल्य: ₹10



महिला सशक्तीकरण

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन



आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें... मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा-III, V एवं VIII	—	—	—	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेंडरी (कक्षा - X)				ब्लॉक-1 : 16 मार्च-31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त-15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1350	₹ 1100	₹ 900	ब्लॉक-2 : 16 सितम्बर-31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी-15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 200	₹ 200	₹ 200	
• सीनियर सेकेंडरी (कक्षा - XII)				ब्लॉक-1 : 16 मार्च-31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त-15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1500	₹ 1250	₹ 975	ब्लॉक-2 : 16 सितम्बर-31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी-15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 230	₹ 230	₹ 230	
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. 1800-180-9393; ईमेल : lsc@nios.ac.in वेबसाइट : www.nios.ac.in

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 61 ★ मासिक अंक : 05 ★ पृष्ठ : 52 ★ फाल्गुन-चैत्र 1936 ★ मार्च 2015

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र-व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली-110 011

दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011-23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 011-26100207, फैक्स : 26100207
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये
वार्षिक शुल्क : 100 रुपये
द्विवार्षिक : 180 रुपये
त्रिवार्षिक : 250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
साक्र देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

	कुरीतियां मिटाओ, बेटी पढ़ाओ	बलवंत सिंह मौर्य	5
	'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के आर्थिक मायने	सौरभ कुमार	8
	बेटियों को उनका हक देकर ही बढ़ेगा देश	पार्थिव कुमार	12
	महिला सशक्तीकरण के लिए 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' योजना	गौरव कुमार	15
	खेलों में देश का गौरव बढ़ाती महिलाएं	संजय श्रीवास्तव	21
	महिला सशक्तीकरण एवं सरकारी प्रयास	डॉ. संतोष कुमार सिंह	25
	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	एल.सी गोयल	31
	शिक्षा से आएगी अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्कान	नवनीत रंजन	33
	यूरिया का बढ़ता प्रयोग : समस्या और समाधान	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	37
	सेहत से भरपूर है अंजीर	साधना यादव	43
	बेटियों के जन्म लेने पर लगाते हैं एक सौ ग्यारह पौधे	चंद्रभान	47

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मार्च 2015

जब हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो हम एक परिवार को साक्षर करते हैं। एक शिक्षित महिला शिक्षा के महत्व को समझती है और अपने बच्चों को भी शिक्षित करने के प्रति उत्साहित रहती है। यही से एक बेहतर मानव संसाधन का निर्माण शुरू होता है जो आर्थिक विकास और सशक्तीकरण का आधार है।

भारतीय महिलाओं का सशक्तीकरण तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें आर्थिक-स्तर पर सशक्त नहीं किया जाए। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से सदा पुरुषों पर निर्भर रही और यही मानसिकता कमोबेश आज भी समाज में विद्यमान है। इस मानसिकता की काट निस्संदेह शिक्षा में निहित है।

महिला शिक्षा के इसी महत्व को समझते हुए अब केंद्र सरकार ने हर बेटी को पढ़ाने के लिए एक मुकम्मल योजना बनाई है और इसे नाम दिया है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना में प्रारंभ में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 100 चुनिंदा जिलों को शामिल किया जा रहा है। खासकर उन जिलों को शामिल किया गया है जहां बालक-बालिकाओं का अनुपात बेहद कम है। इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री ने आधी आबादी को उसका मूलभूत अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई पहल की है। हरियाणा से इसे शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिंगानुपात बेहतर संवेदनशील स्तर पर है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका मकसद लोगों में बेटियों के जन्म से संबंधित जो रुढ़िगत धारणा है, उसे तोड़ना है। सरकार की यह पहल निस्संदेह प्रशंसनीय है जिसमें महिला सशक्तीकरण जैसे गंभीर मसले पर एक मूल कारक को मजबूत करने का प्रयास आरंभ किया गया है। आज वैश्विक-स्तर पर महिला अधिकार और महिला सशक्तीकरण की बातें हो रही हैं जिसका उद्देश्य आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा से प्रत्यक्ष जोड़ना है।

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण तथा प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है। इन सबके अलावा महिलाओं के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी योजनाएं और अभियान अमल में लाए गए हैं जिनका फायदा भी मिला है।

आज भारत में महिलाओं के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी कई समस्याएं हैं। एक तरफ महिलाओं की स्वास्थ्य की दशा चिंताजनक है तो दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं भी कम होने की बजाय दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं बल्कि महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिकता समाज ने दी है और तमाम कानूनों के बावजूद छोटी उम्र में ही विवाह और मां बनने से उनकी सामाजिक स्थिति सुधर नहीं रही है।

आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी कुरीतियां उनके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं और राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात के मुताबिक वहां 1000 बेटों पर बेटियां महज 830 ही रह गई हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक भागीदारी बढ़ानी होगी। धीरे-धीरे इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा।

चूंकि महिलाएं अपने कारण नहीं वरन सामाजिक व्यवहार के कारण पिछड़ रही हैं, ऐसे में जब तक सामाजिक परिवेश को बदलकर न्यायोचित एवं मानवोचित परिस्थितियों का निर्माण नहीं किया जाता तब तक महिलाओं की उन्नति संभव नहीं है। आज महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी है कि समाज में परिवर्तन की मानसिकता और जनचेतना विकसित की जाए। साथ ही जरूरत है बेटियों को शिक्षित करने की और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की।



कुरीतियां मिटाओ, बेटी पढ़ाओ

—बलवंत सिंह मौर्य

आज

बालिकाएं हर क्षेत्र में
आगे बढ़ रही हैं लेकिन आज भी
वह अनेक कुरीतियों का शिकार हैं। ये
कुरीतियां उनके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न
करती हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'
अभियान के तहत फैलाई जा रही जागरूकता
से तमाम कुरीतियों का खात्मा होगा, ऐसी
अपेक्षा है। यह ऐसी कुरीतियां हैं जो देश
के विकास में बाधा बनी
हुई हैं।

अब केंद्र सरकार ने हर बेटी को पढ़ाने के लिए एक मुकम्मल योजना बनाई है और इसे नाम दिया है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। इसे पूरे देश में एक आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को हरियाणा के पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की। इस योजना में प्रारंभ में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 100 चुनिंदा जिलों को शामिल किया जा रहा है। खासकर उन जिलों को शामिल किया गया है, जहां बालक-बालिकाओं का अनुपात बेहद कम है। इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के जरिए आधी आबादी को उसका मूलभूत अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई पहल की है। विभिन्न प्रदेशों में महिला जन्म दर की स्थिति देखें तो चौंकाने वाली है। सबसे खराब हालत हरियाणा की है। इस संकट से निबटने के लिए ही

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की गई है।

हम भारत की साक्षरता की बात करें तो 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46 फीसदी तथा पुरुष साक्षरता दर 82.14 फीसदी दर्ज की गयी है। बिहार में यह दर सबसे कम यानी 46.40 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 51.36 फीसदी, हरियाणा में 56.91 फीसदी तथा राजस्थान में 47.76 फीसदी है। खुशी की बात यह है कि केरल में महिला साक्षरता दर 100 यानी शत-प्रतिशत है। सूत्रों के अनुसार इस योजना की मुख्य रणनीतियों में सामाजिक लामबंदी एवं संवाद अभियान को बढ़ावा देना भी शामिल है ताकि सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाने के साथ-साथ बालिकाओं को समान महत्व दिलाया जा सके। इसी तरह सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 6 से 10 साल की करीब 25 प्रतिशत लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। वहीं 10 से 13 साल की 50 प्रतिशत से

भी ज्यादा लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। 2008 के एक सरकारी सर्वेक्षण में 42 प्रतिशत लड़कियों ने यह बताया कि वे स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें घर संभालने और अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने को कहते हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत फैलाई जा रही जागरूकता की वजह से इस संकट से भी मुक्ति मिलेगी।

वास्तव में अभी भी ग्रामीण इलाके में तमाम बेटियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। कुछ बेटियां इसलिए स्कूल नहीं जा पाती हैं कि उन्हें घर में छोटे



भाई-बहनों की देखभाल करनी होती है तो कुछ स्कूल जाने के बाद पांचवीं और आठवीं तक पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि जागरूकता के तमाम प्रयास के बाद भी उनके आसपास का माहौल शिक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं होता है। वहीं हमारे देश में तमाम बेटियां ऐसी भी हैं जो चाहकर भी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। चूंकि उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए दूरदराज के स्कूलों में जाना पड़ता है जहां उनके परिवार के लोग इजाजत दे देते हैं, लेकिन उनके आसपास का माहौल उच्च शिक्षा ग्रहण करने देने में बाधा बनता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से की गई यह पहल आधारभूत पहल है, जिसके जरिए बेटियों को पढ़ाने और उन्हें बचाने की दिशा में एक माहौल तैयार होगा। भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए इस अभियान का मूल उद्देश्य भी लड़कियों को बचाना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें शिक्षा देना है। इसके जरिए देश भर में जन अभियान के माध्यम से बदलती हुई सामाजिक मानसिकता को लक्ष्य करके और इस विषय पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के तहत 100 जिलों का चयन किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग विभागों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भावस्था के पंजीकरण को प्रोत्साहित कराए। इसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ताकि उनके जरिए दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हों और अभियान में भागीदारी करें। दूसरी संस्था के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को शामिल किया गया है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि वह गर्भधारण पूर्व और जन्मपूर्व जांच तकनीकों का निगरानी क्रियान्वयन कानून 1994 का पालन कराएं। अस्पतालों में प्रसव की संख्या बढ़ाने के साथ ही निगरानी समितियों के गठन पर भी जोर दिया जाएगा। तीसरी संस्था होगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। उनका पंजीयन करने के बाद विभिन्न कक्षाओं में होने वाले ड्रापआउट की दर को कम किया जाए।

हरियाणा से शुरुआत के पीछे की योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से करके एक नया संदेश दिया है क्योंकि इसी राज्य में बालक-बालिका अनुपात

सबसे कम है। तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद भी यहां कन्या भ्रूण हत्या के सर्वाधिक मामले आए। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात 914 की तुलना में यहां 1000 बेटों पर महज 830 बेटियां हैं। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है, जिसे लिंगानुपात को लेकर आदर्श कहा जा सके। क्योंकि एक हजार बेटों पर 954 बेटियां होने पर स्थिति ठीक मानी जाती है, लेकिन यहां कोई भी जिला इसके आसपास तक नहीं है। हाल यह है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुकाबले 2014 में प्रदेश में जन्में बच्चों में बेटियों की संख्या और कम हो गई है। 2014 में जन्में बच्चों का पूरे प्रदेश का औसत लिंगानुपात एक हजार बेटों पर 871 बेटियों का है जबकि 2011 की जनगणना में यह 877 था। महेन्द्रगढ़ जिले में तो बाल लिंगानुपात पूरे देश में सबसे कम 775 है। इसी जिले की नारनौल सीएचसी के 60 गांवों में तो पिछले एक साल में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई। यही हाल साक्षरता का है। मेवात इलाके में पुरुष साक्षरता दर 56.1 प्रतिशत है और महिला साक्षरता 37.6 प्रतिशत है। इसी प्रकार पलवल में महिला साक्षरता 56.4 है, लेकिन यहां 1000 पर 883 बेटियां हैं।

ग्राम पंचायतों की सहभागिता के आधार पर चलेगा अभियान

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान में ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ाई गई है। क्योंकि अभी तक कि जो रिपोर्ट आई है, उसमें शहरी इलाके में बेटियों की स्थिति बेहतर है, लेकिन ग्रामीण इलाके में तमाम प्रयास के बाद भी बेटियों की जन्म दर एवं साक्षरता के पहलू पर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हो पाया है। इसके तहत इस अभियान में यह प्रावधान किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाए जाएंगे। हर महीने इस बोर्ड में संबंधित गांव के बालक-बालिका अनुपात को दर्शाया जाएगा। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत की ओर से जिस परिवार में बेटी पैदा होगी, उस परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से तोहफा भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत साल में कम-से-कम एक दर्जन लड़कियों का जन्मदिन मनाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की शपथ दिलाई जाएगी। यह शपथ सार्वजनिक समारोह में दिलायी जाएगी। इससे लोगों में बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अभियान के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गांव में बालक-बालिका अनुपात बढ़ता है, तो वहां की ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। यानी ग्राम प्रधान व सचिव को भी प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि ऐसा करने से सरपंच अथवा ग्राम प्रधान इस अभियान में ज्यादा रुचि लेंगे। अभियान के तहत एक तरफ प्रोत्साहन की रणनीति बनाई गई है तो दूसरी तरफ दंड का भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी



ग्राम पंचायत में बाल विवाह अथवा कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं तो ग्राम प्रधान अथवा सरपंच को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। वहीं गांव में स्थित स्कूलों के अध्यापकों एवं बच्चों को इस अभियान से जोड़ते हुए तय किया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरुकता संबंधी कार्यक्रमों में स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

100 गांवों का इस अनुपात में होगा चयन

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत 100 जिलों का चयन आनुपातिक लिहाज से निर्धारित किया गया है। इसके तहत देशभर के विभिन्न जिलों में हुए सर्वे को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत 87 ऐसे जिले अभियान में शामिल किए जाएंगे, जहां बालक एवं बालिका का राष्ट्रीय अनुपात 918 है। आठ ऐसे जिले चुनें जाएंगे जहां बालक— बालिका का अनुपात 918 से अधिक है। पांच ऐसे जिले भी इसमें शामिल किए जाएंगे जहां बालक— बालिका का अनुपात 918 से ज्यादा है और वहां तेजी से इस अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है।

कुरीतियों से मिलेगी मुक्ति, बेटियां होंगी स्वावलंबी

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत फैलाई जा रही जागरुकता से तमाम कुरीतियों का भी खात्मा होगी। यह ऐसी कुरीतियां हैं जो देश के विकास में बाधा बनी हुई हैं। आज बालिका हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं लेकिन आज भी वह अनेक कुरीतियों का शिकार हैं। ये कुरीतियां उसके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पढ़े—लिखे लोग और जागरुक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है या जन्म लेते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। आज भी समाज में कई घर ऐसे हैं, जहां बेटियों

को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। भारत में 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 44.5 प्रतिशत ऐसी हैं, जिनकी शादियां 18 साल के पहले हुई हैं। इन 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 22 प्रतिशत ऐसी हैं, जो 18 साल के पहले मां बनी हैं। इन कम उम्र की लड़कियों से 73 प्रतिशत बच्चे पैदा हुए हैं। इन बच्चों में 67 प्रतिशत कुपोषित हैं। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के जरिए इस चुनौती का भी सामना किया जा सकेगा। क्योंकि जब बेटियां शिक्षित होंगी तो उनमें स्वावलंबन आएगा। फिर न तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी वारदातें होंगी और न ही बाल विवाह। ऐसे में कुपोषण का संकट अपने आप खत्म होता नजर आएगा। नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस राइट्स यानी एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि

भारत में 6 से 14 साल तक की ज्यादातर लड़कियों को हर दिन औसतन 8 घंटे से भी ज्यादा समय केवल अपने घर के छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता है।

सामूहिक भागीदारी से कम होंगी चुनौतियां

इसमें कोई संदेह नहीं कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान में तमाम चुनौतियां हैं लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक भागीदारी बढ़ानी होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में विभिन्न स्तरों पर ग्राम पंचायतों, शैक्षिक संस्थानों को शामिल किया गया है। इससे निपटने और हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने योजना पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी समय—समय पर अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट पीएमओ को पेश करने को कहा गया है। इस अभियान का सबसे अधिक फायदा यह होगा कि बालिकाओं की साक्षरता दर में तेजी से बढ़ोतरी होगी। भारत में साक्षरता दर की बात करें तो 1991 में भारत में साक्षरता दर 48 प्रतिशत थी जो 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गयी है। इसी तरह से 1990—91 में देश में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर 59.1 प्रतिशत थी जोकि 2010—11 में 40.3 प्रतिशत हो गयी। आरटीई जून 2014 के अनुसार 2009—2010 में प्राथमिक स्तर पर वार्षिक ड्राप आउट दर 9.1 थी, जो 2013—14 में घट कर 4.7 हो गई है। ऐसे में यदि इस अभियान का प्रचार— प्रसार होगा तो यह दर और गिरेगी और वह दिन दूर नहीं जब देश में बालक— बालिका साक्षरता दर का शत—प्रतिशत लक्ष्य हासिल हो जाएगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ई—मेल : balwant957@yahoo.in

‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के आर्थिक मायने

—सौरभ कुमार

जब हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक परिवार को भी साक्षर करते हैं। कई अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि जिस परिवार की महिलाएं साक्षर होती हैं वहां पारिवारिक बजट में संतुलन होता है और वह परिवार अपेक्षाकृत बेहतर जीवनयापन करता है। एक शिक्षित महिला शिक्षा के महत्व को समझती है और अपने बच्चों को भी शिक्षित करने के प्रति उत्साहित रहती है। यहीं से शुरू होता है एक बेहतर मानव संसाधन का निर्माण जो आर्थिक विकास और सशक्तीकरण का आधार स्तम्भ है। भारतीय महिलाओं का सशक्तीकरण तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें आर्थिक स्तर पर सशक्त नहीं किया जाए। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से सदा पुरुषों पर निर्भर रही और यही मानसिकता आज भी कमोबेश समाज में विद्यमान है। इस मानसिकता की काट निस्संदेह शिक्षा में निहित है।

आज देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या करीब 48 प्रतिशत है। इसका एक बड़ा हिस्सा अपने मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आज देश में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर जैसे कई क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले निम्न दशा में हैं। इसके अलावा महिलाओं के प्रति जन्म से मृत्यु पर्यंत हिंसा

की घटनाएं आम हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा का सबसे घिनौना पक्ष यह है कि उनके प्रति दोगुना दर्जे की सामाजिक मानसिकता के कारण बेटियों के जन्म के दौरान, पूर्व या पश्चात उन्हें मार दिया जाता है। अशिक्षित समाजों की यह बुराई अब शिक्षित समाजों में भी बड़े स्तर पर फैल चुकी है। इतना ही नहीं सामाजिक प्रतिष्ठा का नाम देकर महिलाओं को कई तरीके से

प्रतिबंधित करना और उनका शोषण करना भी समाज की एक बड़ी कुरीति प्रचलन में है। लगभग प्रतिदिन देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं के प्रति यौन हिंसा की घटनाएं समाचार-पत्रों के पन्नों पर रहती हैं। सबसे दुखद तो यह है कि इन हमलों में बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाएं तक होती हैं। समस्याओं के गहरे जाल में रह रहे देश के इस प्रमुख वर्ग के प्रति हाल में केंद्र सरकार के स्तर से एक बड़ी पहल की गई है। स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री



नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों को बचाने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को अमलीजामा पहनाते हुए हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की गई। महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में यह एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण अभियान है।

हरियाणा से इस कार्यक्रम को शुरू करने की एक वजह यह भी है कि यह राज्य लिंगानुपात के मामले में बेहद संवेदनशील स्तर पर है। वैसे गिरते लिंगानुपात की समस्या देशव्यापी है जहां 0 से 6 वर्ष के प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 919 पर सिमटी है। ऐसी दशा में लगातार बालिकाओं की कमी को देखते हुए यह सामाजिक दायित्व बनता है कि इस पर अंकुश लगे और समाज में एक संतुलन की व्यवस्था कायम की जाए। क्योंकि यदि लैंगिक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो समाज और राष्ट्र की समग्र प्रगति में यह बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के जरिए इसी दिशा में प्रयास किया गया है तथा समाज को ही इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना के द्वारा बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में व्याप्त मानसिकता में बदलाव की कोशिश की जाएगी। साथ ही लिंग निर्धारण की रोकथाम, भ्रूण हत्या जैसी गंभीर घटना से बचाव और महिला सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। आरम्भ में इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए देश के चुने हुए 100 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत में इस योजना पर 100 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

बालिका शिक्षा आर्थिक सशक्तीकरण का आधार

किसी देश की प्रगति और वास्तविक स्थिति का यदि अध्ययन करना हो तो वहां महिलाओं की शिक्षा का स्तर देखना चाहिए। एक शिक्षित नागरिक से जो अपेक्षाएं की जाती हैं उसी के आधार पर समाज का विकास निर्भर करता है। यदि किसी समाज या राष्ट्र में पर्याप्त संसाधन हों किन्तु वहाँ एक दक्ष और परिष्कृत मानव संसाधन नहीं हो तो उसकी प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। आज भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर करीब 65 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण महिलाओं का हिस्सा और भी कम है। जब हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक परिवार को भी साक्षर करते हैं। कई अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि जिस परिवार की महिलाएं साक्षर होती हैं वहा पारिवारिक बजट में संतुलन होता है और वह परिवार अपेक्षाकृत बेहतर जीवनयापन करता है। वहीं दूसरी तरफ जिस परिवार की महिलाएं साक्षर नहीं होती वहां पारिवारिक बजटिंग, वित्तीय प्लानिंग सहित जीवन-स्तर की

स्थिति काफी गंभीर होती है। एक शिक्षित महिला शिक्षा के महत्व को समझती है और अपने बच्चों को भी शिक्षित करने के प्रति उत्साहित रहती है। यहीं से शुरू होता है एक बेहतर मानव संसाधन का निर्माण जो आर्थिक विकास और सशक्तीकरण का आधार स्तम्भ है।

भारतीय महिलाओं का सशक्तीकरण तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें आर्थिक स्तर पर सशक्त नहीं किया जाए। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से सदा पुरुषों पर निर्भर रही और यही मानसिकता आज भी कमोबेश समाज की मानसिकता में विद्यमान है। इस मानसिकता की काट निस्संदेह शिक्षा में निहित है। किसी भी समाज को नष्ट करने का यदि कोई उपाय है तो वह है वहां से शिक्षा को समाप्त कर दिया जाना। सामान्य रूप से देखें तो महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा, उनमें वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता आएगी, उनमें अच्छे व बुरे की पहचान करने की क्षमता का विकास होगा और इसके माध्यम से वे परिवार और समाज में समान दर्जा प्राप्त करने में सफल होंगी। इसके साथ ही उन्हें बेहतर रोजगार, आजीविका के साधन और आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस प्रकार जब वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो यह न केवल उनके लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी एक बेहतर अनुभव होगा।

आज महिलाओं के सामने जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे उनकी अज्ञानता, अशिक्षा ही कारक है। एक सामान्य महिला को अपने सामान्य कानूनी अधिकार तक पता नहीं होते। महिला हेल्पलाइन, महिला आयोग, घरेलू हिंसा कानून सहित तमाम कानून जो महिला सुरक्षा के लिए बने हैं, उन्हें उनकी जानकारी भी नहीं है। उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उन्हें समाज में दोगुना दर्जा दे दिया जाता है और इसी वजह से उनका शोषण होता रहता है। पिछले वर्ष यूनिसेफ की एक रिपोर्ट "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2012" शीर्षक से आई थी जोकि वर्ष 2000 से 2010 तक के आंकड़ों में भारत में बालिकाओं की स्थिति पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 54 प्रतिशत महिलाएं अपने पति द्वारा पिटाई किये जाने को उचित मानती हैं। जबकि 57 प्रतिशत किशोर भी इसे उचित मानते हैं। क्या कारण है कि आज की नारी और समाज के किशोर भी इस तरह की मध्यकालीन सोच से ग्रसित हैं? इसके मूल में है उनका पारंपरिक समाजीकरण और शिक्षा। आज महिलाओं को अपने सामान्य सामाजिक, कानूनी, वित्तीय अधिकारों की जानकारी नहीं है। भाग्यवादी और पुरुष नियंत्रण का अपने व्यक्तित्व से समायोजन रखते हुए वे अपनी पिटाई को उचित मानती हैं।



आज हमारे सामने देश की आधी आबादी की जो तस्वीर है वह कई रूपों में विकृत हुई है। इसके पीछे कई सामाजिक कारक जिम्मेदार हैं। इसका निवारण महिलाओं को शिक्षित और जागरूक बनाकर किया जा सकता है। वैश्विक लैंगिक भेद सूचकांक 2014 में 142 देशों की सूची में भारत को 114 वें स्थान पर रखा गया है।

बालिकाओं की शिक्षा और आर्थिक कल्याण के प्रयास

केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विगत वर्षों में कई ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए हैं जो बालिका शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण और अनिवार्य रहे हैं। इनमें अर्ली चाइल्ड केयर तथा शिक्षा, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों की छात्राओं के लिए छात्रावास, माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित कई तरह की छात्रवृत्ति योजना संचालित हैं। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक लड़की के लिए पोस्ट स्नातक कार्यक्रम के लिए इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप, महिला समाख्या योजना आदि प्रमुख हैं। स्कूली किशोरियों के लिए इसी तरह की एक योजना राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) है जिसे वर्ष 2010-11 में प्रारम्भ किया गया था। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम सहायता (एस टी ई पी) इसी तरह की एक अन्य योजना है जो महिलाओं को रोजगार व प्रशिक्षण देने के लिए सहायता देने के कार्यक्रम के रूप में 1987 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई थी। महिलाओं के रोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण की अन्य योजनाएं हैं—स्वयंसिद्धा, स्वावलंबन, स्वशक्ति योजना आदि।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों की छठी से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल के रूप में खुले हैं। इस समय कुल 3600 बालिका विद्यालय हैं जिनमें 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियां अध्ययनरत हैं।

अभी हाल में बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए केंद्र सरकार ने लघु बचत की एक योजना “सुकन्या समृद्धि योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत लोग अपनी बेटि के जन्म के समय से लेकर 10 वर्ष की आयु के दौरान कभी भी सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक शाखा या डाकघरों में बचत खाता खोल सकेंगे। योजना के तहत एक हजार रुपये से खाता खोला जा सकेगा तथा प्रतिवर्ष इसमें न्यूनतम एक हजार और अधिकतम

डेढ़ लाख रुपये जमा कराए जा सकेंगे। बेटियों के लिए बनाए गए इस विशिष्ट खाते में चौदह वर्ष तक धन जमा कराया जाएगा। इस खाते को कर से भी छूट प्रदान की गई है। इस योजना की घोषणा 10 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत बजट में की गई थी, उसी दौरान ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना का ऐलान भी किया गया था।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

महिला सशक्तीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर भी तमाम प्रयास किए गए हैं किन्तु इसका समग्र रूप में अब तक लाभ नहीं लिया जा सका है। अब आधुनिक समय में यदि इस तरह की पहल की जाती है जिसमें इन समस्याओं से मुक्ति का रास्ता निकलता है तो इसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने की चुनौती प्रकट हो सकती है। कोई भी समाज किसी तरह के परिवर्तन को अंगीकार करने के प्रति शंकालु होता है। खासकर उन मामलों में जो उसकी सत्ता संरचना को प्रभावित करें। महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का भी यही हाल है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ देकर पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित कराया जाता है किन्तु उनको नियंत्रित उनके पुरुष अभिभावक ही करते हैं। स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं के वित्तीय क्रियाकलापों का नियंत्रण भी पुरुषों के हाथ में हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है? महिला शिक्षा की भी यही दशा है। महिला शिक्षा के प्रति भी इसी तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। महिलाओं को स्कूल, कॉलेज भेजने में भी आज कई क्षेत्रों में लोग आनाकानी करते हैं, बिहार राज्य में स्कूली बालिकाओं को साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान की गई है जिससे वे स्कूल जाती हैं। उनके प्रति भी सामाजिक मानसिकता विकृत है। आम जन में यह धारणा है कि यह समाज में असंतुलन पैदा करेगा। लड़कियों को शिक्षित करना आज देश के सामने एक प्रमुख चुनौती है।

लड़कियों के प्रति तमाम अंकुश और शोषण के बावजूद आज महिलाओं के बीच अपने पैरों पर खड़े होने की जिद भी समाज में देखने को मिलती है जिसे खाप पंचायत जैसी असंवैधानिक और मध्यकालीन संस्था द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। किन्तु फिर भी जो लड़कियां या उसके परिवार वाले इस जिद को जीत लेते हैं वे आज सफल हैं। आज शिक्षा, प्रबंधन, विज्ञान और तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं ने बेहतर मुकाम हासिल किया है। अग्नि-5 के सफल परीक्षण के पीछे भी एक महिला का ही हाथ था। देश की प्रथम नागरिक एक महिला थी। देश की संसद की अध्यक्ष भी एक महिला हैं। महिलाओं के लिए इतने बेहतर अवसर और पद की समानता एक आदर्श

समाज को रेखांकित करती है। आज ग्रामीण इलाकों की भी छात्राएं देश की राजधानी सहित मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि बड़े शहरों में अध्ययन और अन्य व्यवसाय कर रही हैं। दिल्ली में ही देश के सर्वोच्च सेवा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली लड़कियों की संख्या काफी है। इनमें वे लड़कियां भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं। यह एक तरफ समाज का बदलता रूप रेखांकित करता है तो दूसरी तरफ नारी सशक्तीकरण का साकार रूप भी दिखाता है।

किन्तु इसके आगे जो वास्तविक भारत यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो तस्वीर है उसे बदलने की भी जरूरत है। वैसे महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण के लिए काफी प्रयास किए गए हैं किन्तु इसके समग्र लाभ और अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-

- देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को पूर्णतः निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में महिलाओं के लिए अनुकूल संरचना जैसे शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- पंचायतों की बैठकों और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके आरक्षण को तर्कसंगत बनाया जाए। इसमें उनके पुरुष अभिभावकों के प्रवेश को पूर्णतः वर्जित किया जाए।
- महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता और जागरूकता की व्यवस्था की जाए।
- महिला किसानों को भी अधिकार संपन्न बनाया जाए। ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ज़मीन पर मालिकाना हक मिले। अब तक की

व्यवस्था में पुरुष ही इसके वास्तविक मालिक होते रहे हैं।

- महिलाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए तथा इसको पूरा करने के लिए जरूरी संरचना का निर्माण किया जाए।
- महिला सुरक्षा और सहायता के लिए ग्रामीण-स्तर पर हेल्पलाइन और महिला आयोग की सरल पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों को जिसमें जन-धन-योजना शामिल है, को महिला केन्द्रित बनाया जाए और उसमें महिलाओं की प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

इस तरह से यदि सुझावों को बेहतर व संगठित तरीके से अमल में लाया जाए तो स्थिति में सुधार और परिवर्तन की आशा की जा सकती है। समाज में परिवर्तन की मानसिकता को बनाने और समाज में जनचेतना विकसित करने की भी जरूरत आज महसूस की जा रही है जो महिला उत्थान के लिए अहम् है। साथ ही जरूरत है बेटियों को शिक्षित करने की। इस दिशा में जो भी पहल की जा रही है उसका अधिकतम लाभ हम तभी ले सकते हैं जब वह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। यदि शिक्षा की गुणवत्ता समाज के विकास केन्द्रित नहीं बनायी जाती तो यह अंततः समाज के लिए ही हानिकर होगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा को वैश्विक-स्तर देना भी जरूरी है जो उनको वैश्वीकृत समाज से खुद को जोड़ने के काबिल बनाएगा।

(लेखक बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी हैं।)
ई-मेल : sauravkumar19@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम ~~कुरुक्षेत्र~~ का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

..... पिन

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, तल-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110 066

बेटियों को उनका हक देकर ही बड़ेगा देश

—पार्थिव कुमार

पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता लगभग एक रफ्तार से बढ़ी मगर दोनों के बीच का फासला अब भी बरकरार है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने के मकसद से की गई है। इसका उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करना और समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाना है। इस अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से इसीलिए की गई कि उसमें महिलाओं का अनुपात सबसे कम है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सरकार पक्षपाती लिंग चयन को रोकने के साथ ही लड़कियों की शिक्षा, पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है।

आजादी के बाद के 67 बरसों में देश ने काफी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति की है। इस विकास में महिलाओं का योगदान किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं रहा है। मगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना अधूरा है। समाज में अब भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। देश में कन्या भ्रूण हत्या, झूठी शान की खातिर महिलाओं के वध और बलात्कार की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। पोषण और शिक्षा के मामलों में भी लड़कियों के खिलाफ भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। यहां तक कि किसी महिला का घर से बाहर जाकर रोजगार करने का फैसला भी उसका नहीं होकर उसके परिवार वालों का होता है।

बहुमुखी विकास के इन लगभग सात दशकों के सफर के बाद भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजना की जरूरत महसूस होना एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करता है। जन्मपूर्व लिंग परीक्षण (विनियमन एवं प्रतिरोध) कानून पिछले 20 साल से लागू है। फिर भी बड़ी संख्या में लड़कियों का गला माता के गर्भ में ही घोंट दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में झूठी शान की खातिर लड़कियों की हत्या की रिपोर्टें आम बात हैं। अपहरण, जबरन देह व्यापार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को रोकने में भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है।

इस स्थिति में देश की आबादी में महिलाओं का अनुपात कम होना कतई हैरानी की बात नहीं है। वर्ष 1951 में आजादी के बाद की पहली जनगणना में देश में 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थीं। मगर 2011 की जनगणना में यह संख्या सिर्फ 940 रह गई है। पांच साल तक के बच्चों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात तो और भी चिंताजनक है। इस

उम्र वर्ग में 1000 लड़कों पर सिर्फ 918

लड़कियां हैं जिसे भविष्य की स्थिति के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। महिलाओं का

अनुपात लगातार गिरता हुआ 1991 में 927 तक पहुंच गया था। अलबत्ता पिछले 20 बरसों में इसमें कुछ सुधार होता दिखाई देने लगा है।

कुछ राज्यों में तो हालत बहुत ही खराब है।

प्रति 1000 पुरुषों पर चंडीगढ़ में 818, दिल्ली में 866,

हरियाणा में 877, पंजाब और राजस्थान में 893 तथा उत्तर प्रदेश में

908 महिलाएं हैं। देश के कुछ जिलों में तो

महिलाओं का अनुपात बहुत कम हो जाने के कारण कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं।

सबको बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देने का दावा करने वाले इस देश में लड़कियों को जन्म लेने से रोका जाना और उनके साथ ताउम्र भेदभाव एक बड़ी त्रासदी है। लड़कियों को कमतर आंकने की हमारी सड़ी-गली सोच की वजह से ही



सरकार को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाएं शुरू करनी पड़ रही हैं। हमारा संविधान लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार देता है। लेकिन समाज लड़कियों के खिलाफ भेदभाव करता है। कितनी हैरानी की बात है कि विकास का ग्राफ ऊपर चढ़ने के साथ ही आबादी में महिलाओं का अनुपात घट रहा है। यह कैसा विकास है जो हमारे समाज को पीछे धकेल रहा है। आजादी के बाद से हम वैभव, शिक्षा, साक्षरता, विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़े मगर लड़कियों को कमतर आंकने की सोच को बदल नहीं पाए हैं।

आंकड़े इस धारणा को गलत ठहराते हैं कि साक्षरता बढ़ने के साथ ही देश में महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। वर्ष 1951 में तो देश की 18.33 प्रतिशत आबादी ही साक्षर थी। यह प्रतिशत 2011 में बढ़ कर 74.04 हो चुका है। लेकिन क्या समाज में महिलाओं की स्थिति में भी इसी अनुपात में सुधार हुआ है? महिलाओं के प्रति विकृत नजरिए की वजह अशिक्षा से ज्यादा समाज की दूषित सोच है। जब हम अनपढ़ थे तो पुरुषों और महिलाओं की आबादी में असंतुलन के खतरे को नहीं समझ पाए। लेकिन शिक्षित होने के बाद भी अगर हम अपने नजरिए को बदल नहीं पाए हैं तो यह चिंता का विषय है।

सिर्फ गरीब और अनपढ़ परिवारों में ही नहीं बल्कि संपन्न और पढ़े-लिखे तबकों में भी लड़कियों की तुलना में लड़कों को तरजीह दी जाती है। दिल्ली और हरियाणा आर्थिक विकास के लिहाज से अन्य राज्यों से ऊपर हैं मगर इनमें महिलाओं का अनुपात देश में सबसे कम है। ज्यादातर परिवारों में शिक्षा, पोषण और चिकित्सा सुविधाओं के मामलों में लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 1951 में 27.16 प्रतिशत पुरुष की तुलना में सिर्फ 8.86 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थी। वर्ष 2011 तक 82.14 प्रतिशत पुरुष और 65.46 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हो चुकी थीं। यानी पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता लगभग एक रफ्तार से बढ़ी मगर दोनों के बीच का फासला अब भी बरकरार है। पोषण की जरूरत पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होती है। गांव हो या शहर, महिलाएं घर के साथ-साथ बाहर का काम भी करती हैं। बच्चे जनने और उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी उसकी ही होती है। फिर भी महिलाओं को वह देखभाल और पोषण नहीं मिल पाता जो पुरुषों को मिलता है। देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं कुपोषित हैं और उनमें आयरन की कमी आम बात है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने के मकसद से की गई है। इसका उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करना और समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाना है। महिला एवं बाल

योजना के तहत लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लागू की जाएगी। इसमें 10 साल से कम उम्र की लड़कियों का बैंक खाता खोला जाएगा। इन खातों में बचत पर 9.1 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और इनमें हर साल डेढ़ लाख रुपये तक की रकम जमा कराई जा सकेगी। खाता लड़की के 21 साल की हो जाने तक के लिए होगा। मगर 18 साल की उम्र हो जाने के बाद लड़की इससे 50 प्रतिशत रकम निकाल सकेगी।

विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस साझा पहल को महिलाओं के सबसे कम अनुपात वाले 100 जिलों में शुरू किया गया है। इस अभियान की सफलता सामाजिक जागरूकता और सभी पक्षों के सहयोग पर निर्भर करती है। जिस देश में बेटियों को बोझ समझ कर जन्म से पहले ही मार दिया जाता हो उसमें ऐसी योजना चलाना एक सार्थक कदम है।

इस अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से इसीलिए की गई कि उसमें महिलाओं का अनुपात सबसे कम है। राज्य के 12 जिलों में स्थिति बेहद भयावह है। इन जिलों में महिलाओं का अनुपात 800 से भी कम हो गया है। झज्जर और महेन्द्रगढ़ जिलों में यह अनुपात क्रमशः 782 और 775 है। इस वजह से इनमें कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में लड़के शादी नहीं हो पाने के कारण एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं। इनमें लड़कों के लिए दूसरे राज्यों से लड़कियों को कई प्रलोभन देकर लाया जाता है। कई दूसरे राज्यों से लड़कियों को अगवा करके लाने की घटनाएं भी अक्सर सामने आती रही हैं। इससे इन जिलों में मानव तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर खतरे की इस घंटी को समय रहते नहीं सुना गया और समाज का नजरिया नहीं बदला तो नतीजे और भी भयंकर होंगे।

भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा महिलाएं और बच्चे हैं। इनके विकास के बिना देश की प्रगति बेमानी है। इन्हें साथ लेकर ही विकास की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। मगर समाज में लड़कियों की उपेक्षा उनके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सबमें वे लड़कों से पीछे हैं। शिक्षा के

अभाव में कम उम्र में मां बनने और बार-बार गर्भधारण का उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल मृत्यु दर में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की स्थिति दयनीय है। वर्ष 2011 में पांच साल से कम उम्र के प्रति 1000 बच्चों में लड़कों की मृत्यु दर 51 और लड़कियों की 59 थी। इससे पता चलता है कि लड़कियों के जन्म के अधिकार को सुनिश्चित कर भी दिया जाए तो देखभाल और परवरिश में उनकी उपेक्षा जारी रहती है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सरकार पक्षपाती लिंग चयन को रोकने के साथ ही लड़कियों की शिक्षा, पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है।

देश के ज्यादातर हिस्सों में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। गरीबी की दलदल में जी रहा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि सभी बच्चों की शिक्षा का बोझ उठा सके। ऐसे में बेटी को नजरंदाज कर दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक देश में छह से 14 साल तक की ज्यादातर लड़कियों को रोजाना औसतन आठ घंटे अपने घर के छोटे बच्चों को संभालने में लगाने पड़ते हैं। इसी तरह छह से 10 साल तक की 25 प्रतिशत लड़कियां स्कूल छोड़ देने के लिए मजबूर हैं। दस से 13 साल तक की स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत 50 से भी ज्यादा है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत महिलाओं को गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में डिलीवरी पर महिला को सरकार की ओर से एकमुश्त 3500 रुपये दिए जाएंगे। पंचायतों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर हर महीने जन्म लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्ज की जाएगी। इस अभियान के तहत बाल विवाह के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। किसी गांव में बाल विवाह होने पर पंचायत को जिम्मेदार माना जाएगा। जिन 100 जिलों में अभियान शुरू किया गया है उनके प्रतिनिधि सांसदों का एक फोरम बनाया जाएगा जो लिंगानुपात बढ़ाने के संबंध में प्रयासों का समन्वय करेगा।

योजना के तहत लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लागू की जाएगी। इसमें 10 साल से कम उम्र की लड़कियों का बैंक खाता खोला जाएगा। इन खातों में बचत पर 9.1 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और इनमें हर साल डेढ़ लाख रुपये तक की रकम जमा कराई जा सकेगी। खाता लड़की के 21 साल की हो जाने तक के लिए होगा। मगर 18 साल की उम्र हो जाने के बाद लड़की इससे 50 प्रतिशत रकम निकाल सकेगी।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला अधिकारी के अधीन टास्क फोर्स गठित किए जाएंगे। इसमें मीडिया और युवाओं को शामिल करके जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों में जन्मपूर्व लिंग परीक्षण के खिलाफ कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। इनमें क्लीनिकों और अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और लिंग परीक्षण की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

योजना में शामिल सभी 100 जिलों में लिंगानुपात में सालाना 10 अंक की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017 तक बाल मृत्यु दर में कम-से-कम पांच अंकों की कमी लाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लक्ष्य रखा गया है कि 2017 तक 79 प्रतिशत लड़कियों का माध्यमिक स्कूलों में दाखिला हो जाए। हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाना जरूरी है। इस योजना के तहत मौजूदा साल में 50 नए कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोले जाएंगे।

सरकारी प्रयासों के अलावा लड़कियों के प्रति सामाजिक बर्ताव बदलने की भी कोशिश की जाएगी। इस प्रयास में स्थानीय धार्मिक नेताओं और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग लिया जाएगा। नागरिकों को लड़की के जन्म को उत्सव की तरह मनाने, उसे पारिवारिक संपत्ति में बराबरी का हक देने, लड़कियों को माता-पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति प्रदान करने तथा बाल विवाह रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे आर्थिक रूप से संपन्न तमाम देशों में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है। रूस में तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1165 है। लिहाजा सार्थक विकास के लिए महिलाओं के खिलाफ भेदभाव मिटा कर उन्हें बराबरी का अधिकार देना जरूरी है। कानून बनाने भर से स्थिति नहीं बदल सकती। देश की प्रगति में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और सराहना महत्वपूर्ण है। कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ अशिक्षित और गरीब तबकों तक ही सीमित नहीं है। संपन्न और शिक्षित तबके में भी यह प्रवृत्ति आमतौर पर देखी गई है। महिलाओं को सशक्त बना कर ही उनके खिलाफ भेदभाव को कम किया जा सकता है। उन्हें इस लायक बनाया जाना चाहिए कि वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान और शक्ति को महसूस कर सकें। यह धारणा गलत है कि लड़की विवाह के बाद अपने माता-पिता के परिवार का नाम आगे नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में उसे जब भी मौका दिया गया उसने अपने देश और परिवार का नाम रोशन किया है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : kr.parthiv@gmail.com

महिला सशक्तीकरण के लिए 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' योजना

—गौरव कुमार

देश में महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने एक अहम् पहल करते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना शुरू की है। इस योजना को 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तीकरण की दिशा में लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित है। हरियाणा से इसे शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिंगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर पर है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका मकसद है लोगों में बेटियों के जन्म से सम्बंधित जो रूढ़िगत धारणा है, उसे तोड़ा जाए।

देश में महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग रहे हैं। आजादी के बाद से महिला चिंता राष्ट्रीय लोकतंत्र में भी एक प्रमुख आयाम थी। जो सत्तर और अस्सी के दशक में शैक्षणिक चर्चा में भी शामिल हो गया। किन्तु इन सबके बावजूद आज भी

महिला - पुरुष लिंगानुपात के असंतुलन के बीच बहस जारी है। आज भी महिला सुरक्षा के प्रति सभ्य समाज की चिंता जाहिर है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक अहम् पहल करते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना शुरू की है। इस योजना को 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया।





केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तीकरण की दिशा में लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित है। हरियाणा से इसे शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिंगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर पर है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' नामक योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका मकसद है लोगों में बेटियों के जन्म से सम्बंधित जो रूढ़िगत धारणा है उसे तोड़ा जाए। मुख्य रूप से समाज में स्त्रियों को प्रदान किया गया दायित्व दर्जा समाप्त करने की दिशा में इस योजना का रुझान है। इसके अलावा लिंग निर्धारण की रोकथाम, भ्रूण हत्या, बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनका विकास, शिक्षा प्रदान करना भी इस योजना की प्राथमिकता में है। इसके तहत शुरुआत में देश के 100 जिलों में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार आरम्भ में 100 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन कर रही है।

'बेटी पढ़ाओ – बेटी बचाओ' जैसी योजना सामाजिक दायित्वों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और प्रेरित करती है कि वे समाज के उन संवेदनशील वर्गों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाएं जिन्हें समाज ने ही संवेदनशील बनाया है। यह अपने आप में एक अभिनव पहल है जिसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। किन्तु यही काफी नहीं है जैसाकि अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के रूप में हमने देखा है। अक्सर योजनाओं और अभियानों का अंतिम परिणाम कई कारणों से असफल हो जाता है। किन्तु इस तरह की योजनाएं सामाजिक बदलाव का संकेत अवश्य देती हैं। आज वैश्विक स्तर पर महिला अधिकार और महिला सशक्तीकरण की बातें हो रही हैं जिसका उद्देश्य आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा से प्रत्यक्ष जोड़ना है। किन्तु क्या यह कुछेक योजनाओं से फलीभूत हो सकता है? नहीं केवल

योजनाओं के सहारे ऐसा संभव नहीं है। देश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम् और प्रभावशाली कदम हो सकता है। चूंकि शिक्षा ऐसा एक उपकरण है जो समाज में विचारों का संचार करती है और गलत – सही में फर्क सिखाती है। इसकी वजह से समाज में नैतिकता, स्थायित्व और बंधुता का विकास संभव है। सरकार की यह पहल निःसंदेह प्रशंसनीय है जिसमें महिला सशक्तीकरण जैसे गंभीर मसले पर एक मूल कारक को मजबूत करने का प्रयास आरम्भ किया गया है।

महिला कल्याण के संवैधानिक प्रावधान

ऐसा नहीं है कि वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार महिला सशक्तीकरण के मसाले पर गंभीर नहीं थी। आजादी के बाद से ही स्वतंत्र भारत में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा विकास की नीतियों के प्रति देश के बुद्धिजीवी और राजनेता गंभीर थे। इसी का परिणाम था कि भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में महिला कल्याण की झलक मिलती है। महिलाओं से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं—

अनुच्छेद 15 (1) – राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 (3) – राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 16 (2) – राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में कोई भी नागरिक लिंग के आधार पर न तो अपात्र होगा न ही उससे विभेद होगा।

अनुच्छेद 23 – मानव व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 39 (क) – महिला व पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिले।

अनुच्छेद 39 (घ) – पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

अनुच्छेद 39 (ङ.) – पुरुष व स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 42 – राज्य काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47 – पोषाहार और जीवन-स्तर सुधार के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार।



अनुच्छेद 51 (क) (ड.) – (मूल कर्तव्य) ऐसी प्रथा का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

अनुच्छेद 243 (घ) (3) – प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।

अनुच्छेद 243 (घ) (4) – पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए भी एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।

अनुच्छेद 243 (न) (3) – नगरपालिका में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।

अनुच्छेद 243 (न) (4) – नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए।

इन संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला रखी गई थी जिसे आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के द्वारा और भी बल प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। इन संवैधानिक प्रावधानों का ही यह परिणाम रहा कि आज महिला सशक्तीकरण की दिशा में हमारी आवाज को महत्व मिलता है और कोई भी समाज महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करता है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकारी प्रयास

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए नारे समानता, विकास और शान्ति के साथ 1975 में मैक्सिको में आयोजित महिला दशक 1985 में नैरोबी में संपन्न हुआ। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी मनाया गया। विश्व के इतिहास में संभवतः महिला विमर्श की यह पहली सशक्त वैश्विक उत्तेजना थी। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से महिला स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। भारत में भी इस प्रयोजनार्थ एक कमिटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट 1974 में दी। इस रिपोर्ट तथा संयुक्त राष्ट्र की कॉल फॉर एक्शन के प्रत्युत्तर

में भारत ने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन का प्रारूप बनाया। इसके बाद से महिला सशक्तीकरण नीति की दिशा में देश बढ़ने लगा। इसके बाद वर्ष 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति जारी की तथा इस वर्ष को 'महिला सशक्तीकरण' वर्ष घोषित किया। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह के भेदभाव को समाप्त कर उन्हें जीवन

के हर क्षेत्र में खुलकर भागीदारी करने का मार्ग सुनिश्चित करना है।

इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण तथा प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है। इन सबके अलावा महिलाओं के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से सम्बंधित कई सारी योजनाएं और अभियान अमल में लाए गए हैं। इन सबका लाभ भी मिला है। इस बार 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसी सामाजिक जिम्मेदारी की योजना से भी लाभ की बड़ी उम्मीद है।

वर्तमान चुनौतियां : सामाजिक मानसिकता

प्राचीन समय से ही भारत में महिलाओं के प्रति एक खास प्रकार का पूर्वाग्रह स्थापित कर दिया गया है जो उनके विकास में बाधक बने रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि देश के विभिन्न भागों में जहां समाज में जागरूकता और नैतिकता की कमी है बेटियों को पैदा होने के पूर्व या पश्चात मार दिया जाता है। अब तो यह सभ्य और शिक्षित समाजों में भी प्रचलित हो गया है। इसी का नतीजा है कि भारत में स्त्री-पुरुष लिंगानुपात में भारी कमी होती जा रही है। वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) प्रति एक हजार बालकों पर 927 बालिकाएं थी जो वर्ष 2011 में घटकर 919 रह गया है। आज भारत में महिलाओं के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कई तरह की समस्याएं मौजूद हैं।



स्वास्थ्य के स्तर पर महिला

स्वास्थ्य के स्तर पर देखें तो भारत की महिलाओं की स्वास्थ्य दशा चिंताजनक स्थिति में है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 2012 की एक रिपोर्ट में भारत में महिला स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता प्रकट की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में मां बनने वाली महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। वर्ष 2010 में मां बनने के दौरान करीब 57 हजार महिलाओं की मौत हो गई। यह सम्पूर्ण विश्व में इस तरह से होने वाली मौत का लगभग 20 प्रतिशत है। भारत में मातृत्व मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्म बच्चे पर करीब 212 है। जबकि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के तहत इसे 2015 तक 75 प्रतिशत तक कम करना है। जाहिर है हम जिस गति से कार्य कर रहे हैं उस गति से इस दर को पाना लगभग असंभव है। हालांकि 1999 से 2009 के बीच मातृत्व मृत्यु दर में करीब 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जहां 1999 में यह दर 437 थी वहीं अब यह घट कर 212 पर आ गई है। वर्ष 2010 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन प्रसव पीड़ा से करीब 150 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति भारत में ही नहीं है विश्व भर में इस तरह से करीब 2 लाख 87 हजार मौतें होती हैं, जिसका करीब 85 प्रतिशत योगदान दक्षिण एशिया के देशों और सब सहारा अफ्रीका का है। सब सहारा अफ्रीका में तो यह कुल मृत्यु का करीब 47 प्रतिशत हिस्सा है।

भारत में महिला स्वास्थ्य की यह निराशाजनक स्थिति कोई नयी बात नहीं है। महिलाओं में समुचित पोषण-स्तर में कमी, उपेक्षा, प्रसव सुविधाओं का अभाव जैसी स्थितियां उनके स्वास्थ्य को निरंतर प्रभावित करते रहे हैं। यह स्थिति तब है जबकि भारत सरकार आजादी के बाद से नारी स्वास्थ्य पर कई योजनाओं, कार्यक्रमों, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास करती रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक अन्य चिंतनीय पहलू यह है कि उनके पोषण-स्तर में लगातार गिरावट आती जा रही है। प्रायः महिलाओं के भोजन पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है जहां उनके पोषण के प्रति काफी भेदभाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय पोषण मॉनिटरिंग ब्यूरो के अनुसार 13-15 आयु वर्ग की किशोरियों के लिए 2050 कैलोरी की जरूरत होती है लेकिन उन्हें केवल 1620 कैलोरी का भोजन ही मिल पाता है। इस वजह से जन्म के बाद से लगातार वे स्वास्थ्य के स्तर पर बेहद कमजोर होते जाते हैं। जब उनके मां बनने का समय आता है तो वे शारीरिक व मानसिक स्तर पर बच्चे पैदा करने लायक शक्ति नहीं जुटा पाती जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। एक स्वस्थ समाज,

स्वस्थ देश की शुरुआत एक स्वस्थ मां से होती है। स्त्री स्वास्थ्य की गिरती दशा को काबू में करने के लिए हमें व्यापक प्रयास करने होंगे। हमें प्रसव सुविधा, दवाओं, डाक्टरों, अस्पतालों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सामाजिक जागरूकता के लिए भी प्रयास करना होगा।

महिलाओं के प्रति अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 के मुकाबले पिछले वर्ष देश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। 2013 में देश भर में दुष्कर्म के करीब 33 हजार मामले सामने आए थे जबकि 2012 में यह आंकड़ा 24 हजार के आसपास था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में करीब 92 महिलाएं प्रतिदिन दुष्कर्म का शिकार होती हैं। यह स्थिति तब है जबकि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया जा चुका है और इसे देश भर में लागू भी किया जा चुका है। दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 के सामूहिक दुष्कर्म की सबसे घिनौनी घटना के बाद से देश लगातार गुस्से में था और यही वजह थी कि आनन-फ़ानन में दुष्कर्म जैसे अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए गए। परन्तु इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो पिछले वर्ष केवल दिल्ली में ही दुष्कर्म के 1636 मामले दर्ज किए गए। यानी प्रतिदिन यहां चार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। यह स्थिति केवल दिल्ली की ही नहीं है। दिल्ली के बाद महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित शहर मुंबई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी में पिछले वर्ष दुष्कर्म के 391 मामले दर्ज किए गए थे। यही स्थिति देश के सभी छोटे-बड़े शहरों की भी है। जयपुर में भी पिछले वर्ष दुष्कर्म के करीब 192 और पुणे में 171 मामले दर्ज किए गए थे। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष दुष्कर्म के 4335 मामले, राजस्थान में 3285 मामले, महाराष्ट्र में 3063 मामले और उत्तर प्रदेश में 3050 मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर देश का हर भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। इस सन्दर्भ में क्या हमें केवल कानून व्यवस्था को ही दोष देते रहना चाहिए या फिर हमारे समाज की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ?

आज देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में केवल दुष्कर्म ही शामिल नहीं है बल्कि महिलाओं को देश में दोगुने दर्जे की नागरिकता भी समाज ने दे दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पिछले वर्ष जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 24 मिनट पर एक महिला यौन शोषण, प्रति 43 मिनट में एक महिला अपहरण, प्रति 54 मिनट में एक महिला बलात्कार, प्रति 102 मिनट में एक महिला दहेज प्रताड़ना की शिकार होती है। क्या



ये आंकड़े किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य होंगे? फिर भी हमारा समाज ही इन घटनाओं को अंजाम देता है। इसका कारण यह है कि हमारा समाज आज भी उस प्राचीन शोषणवादी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाया है जोकि महिला को अबला का दर्जा देता है। पारंपरिक भारतीय समाज ने महिलाओं पर कई तरह की जन्मजात निर्योग्यताएं लागू कर दी हैं जिस पर महिलाओं का कोई वश नहीं है। क्या कारण है कि आज भी हमारे समाज में बाल विवाह, दहेज हत्या, भ्रूण हत्या की घटनाएं प्रबल वेग से विद्यमान हैं?



पिछले दिनों यूनिसेफ की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें 2000 से 2010 तक के आंकड़ों में भारत में बाल विवाह की स्थितियों को दिखाया गया था। “द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2012 के शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 से 24 वर्ष की 30 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 15 से 19 वर्ष की आयु में हो गई थी। ऐसी 47 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल से कम आयु में कर दी गई थी। साथ ही 18 प्रतिशत ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी शादी 15 वर्ष से कम आयु में की गई थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में किशोरावस्था में माँ बनने की दर प्रति हजार पर 45 है, जिसका यह अर्थ है कि 15 से 19 साल की प्रति हजार किशोरियों में 45 इस उम्र तक माँ बन जाती हैं। इस रिपोर्ट में भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के भी बदतर हालात सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 54 प्रतिशत महिलाएं पति द्वारा उनकी पिटाई करने को उचित मानती हैं जबकि 57 प्रतिशत किशोर भी इसे उचित मानते हैं। क्या यह उसी पुरुष प्रधान समाज का धिनौना चेहरा नहीं है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी स्त्रियों को आरोपी बनाने में गर्व महसूस करता है।

शिक्षित समाज से अपेक्षा

आज जबकि बुद्धिजीवी वर्ग में यह सर्वस्वीकार्य हो चुका है कि महिलाओं को उनके हक और समता से वंचित करना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए घातक है तब इस तरह के विचारों का किसी भी रूप में समाज में प्रचलित होना स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वह महिला के जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण हो या महिला के प्रति यौन हमला। हमारा समाज ऐतिहासिक कारकों के आधार पर महिलाओं को समाज में उच्च या निम्न

दर्जा देता रहा है। वह समय और वह समाज आज के समय और समाज से काफी भिन्न था। आज उस तरह के ना विचार हैं और ना वैसी परिस्थितियां फिर भी हम उसी पुरानी मानसिकता से क्यों ग्रसित हैं? हमारे समाज में यदि स्त्री-पुरुष के बीच असमानता है इसका मतलब हमारे समाज में कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी है और बिना इसे ठीक किए हमारा समाज अपने प्राकृतिक रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह खुशी की बात है कि सरकार की तरफ से इस दिशा में पहल की गई है जो महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव को संबोधित है। इसके पहले की कई योजनाएं प्रमुखतः अभियानों, रैलियों और कागजी कार्यों तक सीमित रह गई। किन्तु इस योजना में एक सन्देश है जिसे समाज के लोगों तक सही रूप में पहुंचाने की भी चुनौती है।

यह सही है कि शिक्षा ऐसी चीज है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि है। इसका संरक्षण, पोषण और वितरण भी उसी रूप में जरूरी है। शिक्षा मानव को उन तमाम मुद्दों पर एक दृष्टिकोण प्रदान करती है जहां एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से नहीं पहुंच पाता। एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब होता है कि एक पूरे परिवार को शिक्षित किया गया है और वह लड़की अपनी अगली संतान को भी शिक्षित कर सकती है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की गई है जो घटते लिंगानुपात को कम करने में सहायक तो होगी ही, दीर्घकाल में समाज के विकास में भी अपनी महत्ती भूमिका निभाएगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : gauravekumarsss1@gmail.com

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015

13* बार आयोजित की जाएगी

यदि आप CL की टेस्ट सीरीज़ में भाग लेते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सच है। CL से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको हूबहू प्रारंभिक परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त करने के 12 अवसर प्राप्त होंगे जबकि अन्य संस्थान यह अवसर मात्र 2 या 3 बार ही प्रदान करते हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ से आप के लिए प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत सरल हो जाएगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप 13वाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ के अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:

	UPSC	CL
1. संपूर्ण भारत में आयोजन	☒	☒
2. 10,000 से अधिक अभ्यर्थी	☒	☒
3. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र I एवं II एक ही दिन	☒	☒
4. हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र	☒	☒
5. ओएमआर शीट	☒	☒
6. स्कूलों में परीक्षा	☒	☒
7. ऑल इंडिया रैंक	☒	☒
8. टेस्ट परिचर्चा	☒	☒
9. पर्सनल फीडबैक	☒	☒
10. टेस्ट के तुरंत बाद प्रश्न पत्र का हल	☒	☒

*CL के 12 मॉक टेस्ट + 1 UPSC की अगली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा

22 मार्च 2015 से टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ
प्रारंभिक एवं प्रधान परीक्षा उत्तीर्ण एवं CL के पूर्व छात्रों के लिए विशेष छूट

₹10,500/- का सीमित ऑफर

1069 CL अभ्यर्थी सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा '14 के लिए योग्य पाये गये



**CL | Civil Services
Test Prep**

www.careerlauncher.com/civils

[f/CLRocks](https://www.facebook.com/CLRocks)

नए बैच शीघ्र प्रारंभ, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निकटतम CL केंद्र पर संपर्क करें!

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46

ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन - 42375128/29

बैर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 26566616/17

गाज़ियाबाद: सी-27, द्वितीय तल, आरडीसी मार्केट, राज नगर, (बीकानेर स्वीट्स के सामने) फोन - 0120-4380996

इलाहाबाद: 19 बी/49, भुतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन - (0)9956130010

"CL Educate Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its equity shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the website of Kotak Mahindra Capital Company Limited at www.investmentbank.kotak.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Draft Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors".



खेलों में देश का गौरव बढ़ाती महिलाएं

—संजय श्रीवास्तव

अगर हाल के बरसों में क्रिकेट से इतर दूसरे खेलों में भारत के प्रदर्शन को देखें तो महसूस होता है कि हमारी लड़कियों और महिलाओं में अपार ऊर्जा और क्षमता है, बस कसर है तो आगे बढ़ने का मौका देने और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने की। निश्चित रूप में खेलों में लड़कियां जो कुछ कर रही हैं, उससे उन्हें लेकर वर्जनाएं और धारणाएं दोनों टूट रही हैं। ये उस देश के लिए खुशी की बात हैं जहां अब भी लिंग अनुपात में अंतर है।

वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद सायना नेहवाल जब वापस देश लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर देर रात भी हजारों लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा थे। उनकी बस गुलदस्तों से भर गई। सायना देश की पहली ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया था। उन्होंने तब कहा था उनकी जीत पूरे देश को प्रेरणा देने का काम करेगी। खासकर लड़कियों को खेलों में आगे लाने का काम करेगी। वाकई उन्होंने जो कहा था वैसा अब हो भी रहा है। सानिया और उनके सरीखी कई महिला खिलाड़ियों ने देश की महिलाओं में अलग आत्मविश्वास और शक्ति का संचार किया है।

सानिया हैदराबाद की जिस गोपीचंद एकेडमी में प्रैक्टिस में जाती थीं, वहीं उन्होंने धीरे-धीरे बदलाव देखा। वहां आने वाली

लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। अब बड़े पैमाने पर ऐसे अभिभावकों की कमी नहीं जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां घर की चारदीवारी से निकलें और खेलों के मैदानों से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में नाम रोशन करें। निश्चित रूप से महिलाओं की तरक्की और जागरूकता में खेल भी एक सशक्त माध्यम जरूर बने हैं।

मणिपुर के एक छोटे से गांव में मामूली खेतिहर मजदूर के घर में जन्म लेने वाली मेरी कोम नारी शक्ति की नई प्रतीक हैं। तमाम मुश्किलों, सामाजिक असमानताओं, आर्थिक दिक्कतों और बाधाओं के बावजूद वह दृढ़ इच्छाशक्ति से आगे बढ़ीं। उन्हें खुद पर भरोसा था। जिसके दम पर उन्होंने एक छोटे से गांव से लेकर भारत का खेल महानायक बनने का लंबा सफर तय किया। लंदन ओलंपिक में उन्होंने भी कांस्य पदक जीता। इसके बाद



एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक से देश को गौरवान्वित किया। कभी वो इतने गरीब थे कि उनके पिता बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पाते थे। पिता दिनभर खेतों में डटकर काम करते थे और मां हाथ से शॉल बुनती थीं, तब पैसे जुट पाते थे। उनके पिता ये तो चाहते थे कि उनकी बेटी खेलों में नाम रोशन करे लेकिन जब उन्होंने बेटी को बॉक्सिंग रिंग में मुक्के बरसाते देखा तो वह काफी नाराज हुए। लेकिन किसी तरह पिता को मनाते हुए उन्होंने इस खतरनाक समझे जाने वाले खेल को जारी रखा। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में महिला बॉक्सिंग को पहचान दिलाने में मेरी कॉम का नाम लिया जाता है।

धुन की वह इतनी पक्की थीं कि हार मानना उनके शब्दकोश में है ही नहीं, इसी ने उनकी सफलता के सपनों को साकार भी किया। जब वह पहली बार वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप से सोने का तमगा जीतकर लौटीं तो पूरे इंफाल ने उनके स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा लिए। ऐसा स्वागत तो इस छोटे से राज्य मणिपुर में आज तक किसी का नहीं हुआ था।

जब वह अपने गांव से करीब 50 किलोमीटर इंफाल में खेलों की ट्रेनिंग के लिए अकेले रहने आईं तो घरवाले बमुश्किल उन्हें पचास रुपये महीना दे पाते थे। इसी में उन्हें कमरे का किराया, खाना, पढ़ाई और खेल के सामानों की व्यवस्था करना—जिंदगी कतई आसान नहीं थी बल्कि बहुत इम्तिहान लेने वाली थी। कई बार तो उन्हें राह चलते लोगों की फब्तियों और छेड़खानी का सामना करना पड़ा लेकिन वह बहादुरी से डटी रहीं। अब खेलों की बदौलत न केवल उन्होंने कैरियर में ऊंची छलांग लगाई बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरीं।

अब वह मणिपुर पुलिस में एसपी के पद पर काम कर रही हैं। अब उनके पास सब कुछ है। उन्हें देखकर लड़कियां न केवल खेलों में आ रही हैं बल्कि महसूस करने लगी हैं अगर चाहें तो कुछ भी मुमकिन है। मेरी कोम ने निस्संदेह महिलाओं के प्रति देश की सोच को बहुत हद तक बदला।

अगर हाल के बरसों में खेलों के मैदान पर निगाह दौड़ाएं तो महसूस होगा कि हमारी लड़कियों और महिलाओं में अपार ऊर्जा और क्षमता है। बस कसर है तो आगे बढ़ने का मौका देने और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने की। लड़कियों को लेकर वर्जनाएं टूट रही हैं, ये उस देश के लिए खुशी की बात है जहां अब भी लिंग अनुपात में अंतर है।

हालांकि सायना नेहवाल, सानिया मिर्जा, दीपिका कुमारी, मेरी कोम जैसी तमाम महिला चैंपियनों के उभार को देश में 90 के दशक में उदारीकरण के चलते आए बदलावों से भी जोड़कर

देख सकते हैं, जिसने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए हल्के-फुल्के लेकिन अवसरों के दरवाजे जरूर खोले। खेलों में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए नई संस्थाएं सामने आईं। कई लड़कियों ने जब साहस दिखाते हुए उन खेलों की ओर कदम बढ़ाया जो खालिस पुरुषों के खेल माने जाते थे तो उनका विरोध भी हुआ। वर्ष 1997 में जब रज़िया शबनम ने पहले-पहले बॉक्सिंग में जाने का फैसला किया तो तूफान ही आ गया। उनके मुस्लिम समुदाय के लिए ये किसी विस्फोट की तरह था। अभिभावकों ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए और घर की लड़कियों को ताकीद की गई कि उनसे दूर ही रहें। अब शबनम 34 साल की हैं। वह बाक्सिंग कोच के साथ इंटरनेशनल रेफरी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय टेनिस जगत के लिए हैदराबाद की सानिया मिर्जा जानी मानी—खिलाड़ी हैं। पिछले साल उन्होंने टेनिस डबल्स में पांच बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। वह मौजूदा दौर में दुनिया की शीर्ष पांच महिला डबल्स खिलाड़ियों में हैं। हैदराबाद जैसे रुढ़िवादी मुस्लिम समाज को शुरू में उनके टेनिस खेलने पर बहुत ऐतराज था। विरोधों की बाढ़ आ गई। उनके कपड़ों तक फतवे दिए गए। कट्टरवादी मुस्लिमों को कतई पसंद नहीं आया लेकिन दाद देनी चाहिए कि ऐसे मुश्किल समय में भी उनके माता-पिता दृढ़ता से विरोध के सामने डटे रहे। अब सानिया खुद मुस्लिम समाज और लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। बदलते ज़माने में बदलाव की वाहक। निश्चित रूप से सायना, सानिया और मेरी कोम जैसी खिलाड़ी भारत में नारी सशक्तीकरण की बड़ी उदाहरण बन गई हैं।



वेटलिफ्टिंग स्टार सनामाचा चानू का बचपन भी अभाव और गरीबी में बीता लेकिन खेलों ने न केवल उन्हें मुकाम दिया बल्कि तकदीर भी बदली। चानू की देखादेखी मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में वेटलिफ्टिंग का क्रेज बढ़ रहा है। इससे इलाके में एक खास चेतना पैदा हुई। सरकार भी महिलाओं और बच्चों के लिए खेलों की कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके। यहां की लड़कियां कभी सोच भी नहीं सकती थीं कि उनका जीवन खेलों से इतना बदलेगा। जब उनके जीवन को बदलते-संवरते यहां के समाज ने देखा तो उन्होंने भी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना शुरू किया।



खेलों के जरिए आगे बढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ रही है और सफलता भी। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडलीय खेलों में महिला खिलाड़ियों ने 37 पदक जीते जबकि इससे ठीक दस साल पहले महिलाओं की झोली में कोई पदक नहीं था। वर्ष 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में महज छह महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया तो बीस साल बाद वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में ये संख्या 23 हो गई। साफ जाहिर है कि खेल महिलाओं के सशक्तीकरण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। बदलाव धीरे-धीरे सामाजिक तौर पर दिखने भी लगा है। पुरुष वर्चस्व वाले राज्य हरियाणा में तेजी से महिला खिलाड़ी पहचान बना रही हैं। महिलाओं के प्रति इस राज्य में पुरुषों का नजरिया भी बदल रहा है। हरियाणा की लड़कियां कुश्ती से लेकर हॉकी और शूटिंग से

लेकर बाक्सिंग तक में नाम कमा रही हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा जानी-मानी महिला खिलाड़ियों को सामने लाने की बात की जाए तो छोटे से राज्य हरियाणा को सबसे आगे रखा जा सकता है।

हालांकि सफर लंबा है। जैसे-जैसे ये आगे बढ़ेगा, महिलाओं की तस्वीर और बदलेगी। दिल्ली की 21 साल की महिला फुटबाल खिलाड़ी जैनब खान पिछले साल देश की राजधानी में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के एक सेमिनार में मौजूद थीं। उसमें उन्होंने कहा, हमारे पास खेलने के लिए उपयुक्त मैदान या सुविधाओं की कमी है। भारतीय महिला फुटबाल दुनिया में 50वें और एशिया में दसवें नंबर पर है, इसके बावजूद सुविधाओं का अकाल है। उनके सामने फंड से लेकर कोचिंग, शिक्षा और खराब खुराक की समस्याएं हैं।

निश्चित रूप से अगर महिला खेलों में सुविधाएं और बेहतर होंगी तो इसका असर महिलाओं में भी सकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा।

झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आज से कुछ साल पहले तक माना जाता था कि लड़कियां घर का काम करने के लिए हैं। जब कुछ एनजीओ ने लड़कियों को भी खेल से जोड़ने की पहल शुरू की तो काफी विरोध हुआ। अब तस्वीर बदल रही है। झारखंड के छोटे गांवों की जूनियर लड़कियों ने करीब डेढ़ साल पहले स्पेन में एक फुटबाल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर कांस्य पदक जीता। इसके बाद पूरे देश ने इन लड़कियों के बारे में जाना। उनके इलाके में तो ये लड़कियां अब बदलाव की नई वाहक ही नहीं बल्कि उदाहरण भी बन चुकी हैं। खेलों के जरिए इन लड़कियों में फिर से शिक्षा के प्रति ललक भी पैदा हुई। अब ये सभी न केवल





अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले रही हैं बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी पैदा हुआ है। लड़कियों को लेकर यहां सैकड़ों-हजारों सालों से जारी कुरीतियां, बाधाएं और रुढ़ियां तेजी से टूट रही हैं। वो धन भी अर्जित कर रही हैं।

तीरंदाजी चैम्पियन दीपिका के पिता मामूली टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन अब दीपिका पूरे झारखंड की शान हैं। तमाम परिवारों को महसूस हो रहा है कि खेलों के जरिए वो आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं। कुछ सालों पहले तक देश में महाराष्ट्र और केरल ही ऐसे राज्य थे, जहां खेलों में महिलाओं के लिए बेहतर और आगे बढ़ाने वाला सकारात्मक माहौल था। इन राज्यों के समाजों में महिलाओं की स्थिति भी उसी के अनुसार बेहतर और सुदृढ़ थी लेकिन अब दूसरे राज्य भी इस ओर कदम बढ़ाने लगे हैं। दूरदराज के क्षेत्रों और पंचायतों में भारतीय खेल प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं ने भी पिछले दो तीन दशकों में जो खेल कार्यक्रम चलाए, उनसे भी काफी मदद मिली।

झारखंड में युवा नाम का एनजीओ आदिवासी तबके की लड़कियों की जिंदगी को फुटबाल के जरिए संवार रहा है। 2009 में जब एक अमेरिकन युवा ने रांची के ओरमाझी ब्लॉक में काम शुरू किया तो बहुत विरोध हुआ। बमुश्किल चार लड़कियां मैदान पर आ पाईं। अब यहां के मैदान पर रोजाना सुबह- शाम कम से कम 400 लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। ये सभी नियमित तौर पर पढ़ाई भी कर रही हैं। कई को सरकारी और प्राइवेट संस्थानों द्वारा नौकरी ऑफर की जा चुकी है। जहां तक सामाजिक ढांचे में बदलाव की बात है तो ये यहां क्रांतिकारी तौर पर देखा जा सकता है।

इसी तरह नागपुर के बाहरी इलाकों में चलाए जा रहे फुटबाल प्रोग्राम में स्लम्स की लड़कियां जोर-शोर से शिरकत करती हैं-हाल ही में इसमें कई लड़कियां ब्राजील में हुए होमलेस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेकर लौटीं। उनका मानना है कि आज खेल न केवल तमाम मुद्दों का समाधान करने में सहायक साबित हो रहा है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मदद कर रहा है।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश अभी बुनियादी विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगभेद, असमानता और रोजगार बड़ी चुनौती हैं। लेकिन तस्वीर बदलने लगी है। खेल किसी भी समाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, वो समाज को स्वस्थ करते हैं और नई सोच का भी आगाज करते हैं, जो भारतीय खेलों में महिलाओं की बदलती स्थिति से भी देखी जाने लगी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल: sanjayretan@gmail.com

फार्म 4 (कृपया नियम देखें)

1. प्रकाशन का स्थान नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि मासिक
3. मुद्रक का नाम डॉ. साधना राउत
(क्या भारत का नागरिक है?) हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश) -

पता प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-110003
4. प्रकाशक का नाम डॉ. साधना राउत
(क्या भारत का नागरिक है?) हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश) -

पता प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
5. संपादक का नाम श्री कैलाश चन्द मीना
(क्या भारत का नागरिक है?) हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश) -

पता कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली-110011
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूर्ण साझेदार है

मैं डॉ. साधना राउत एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक

महिला सशक्तीकरण एवं सरकारी प्रयास

—डॉ. संतोष कुमार सिंह

आज भारतीय समाज में महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। राजनैतिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता ने ऐसे वातावरण का निर्माण कर दिया है जिसमें महिलाएं अपने को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। उनसे जुड़े विभिन्न उपबंधों, अधिनियमों और योजनाओं ने उनके लिए जहां शिक्षा के नए अवसर प्रदान किए हैं वहीं रोजगार के नए अवसर भी बढ़ाए हैं। प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की क्षमताओं को स्वीकार किया जा रहा है। संवैधानिक उपबंधों ने महिलाओं को बराबरी का हक दिलाया तो अधिनियमों ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। सामाजिक जीवन के मूल्यों में बदलाव आने से एक सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। ऐसे में महिलाओं के दायित्वों की रूपरेखा भी नए परिवेश के साथ बदल रही है।

भारत में आजादी की लड़ाई के पश्चात् नीति निर्माताओं और संविधान विशेषज्ञों ने महिलाओं के पिछड़ेपन के मर्म को समझा और उनकी सहभागिता देश के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं वरन् आवश्यक है, मानकर संविधान में बराबरी का दर्जा दिया। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा महिलाओं को सशक्त बनाना रहा है। भारतीय संविधान न केवल महिला-पुरुष समानता पर बल देता है बल्कि महिला सशक्तीकरण का एक सुनियोजित मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करता है।

महिलाओं से जुड़े संवैधानिक उपबंध और अधिनियम

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और

अवसर की समानता प्रदान करते हैं, जिसमें महिला अधिकारों के भाव व्याख्या स्वरूप स्पष्ट दिखाई देते हैं। इससे महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता है। भारत में महिलाओं की संख्या लगभग 586 मिलियन है जोकि कुल आबादी का लगभग 48.5 प्रतिशत बैठता है। केन्द्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी पक्षों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए जिस वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होती है भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रूपरेखा निम्न प्रकार परिलक्षित होती है—

अनुच्छेद 14—राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल।

अनुच्छेद 15—लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित।

अनुच्छेद 15(3)—महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण।

अनुच्छेद 16—लोक नियोजन में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 19—विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 21—प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 23—बलात्, बेगार और दुर्व्यवहार की मनाही।

अनुच्छेद 24—14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के नियोजन की मनाही।



अनुच्छेद 39—समान रूप से जीविका, समान वेतन एवं गरिमामय वातावरण का निर्माण।

अनुच्छेद 42—काम की न्यायसंगत, मानवोचित दशाओं का निर्माण तथा प्रसूतिकाल में सहायता।

अनुच्छेद 47—स्वास्थ्य एवं जीवन—स्तर में सुधार।

अनुच्छेद 51 क (ड.)—महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जारी प्रथाओं का त्याग एवं समरसता एवं भातृत्व की भावना का विकास।

अनुच्छेद 243 घ—पंचायतों में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।

अनुच्छेद 243 न— बिना भेदभाव नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।

अनुच्छेद 325—भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।

अनुच्छेद 226— वयस्क मताधिकार।

संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिनियमों का प्रयोग औपनिवेशिककाल से ही किया गया। उनसे जुड़ी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में शुरुआती प्रयासों के तौर पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1925) और शारदा एक्ट (1929) अंग्रेजी हुकमत द्वारा क्रियान्वित कर समाज को जागरूक बनाने में एक कदम था। इन अधिनियमों से यद्यपि कोई विशेष सफलता तो प्राप्त नहीं हुई परन्तु ये अधिनियम महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने में प्रेरणाम्रोत साबित हुए। इससे पूर्व भारतीय समाज में महिलाएं न केवल पिछड़ी हुई थी बल्कि भेदभाव में उनका दर्जा दलितों के समान था। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद करके सुनियोजित तरीके से अलग-थलग करने की जो नीतियां अहम स्वरूप चलाई गयी थी, उन्होंने सामाजिक संगठन में महिलाओं को सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस मर्म को आजादी के पश्चात् राष्ट्र के नीति निर्माताओं एवं विशेषज्ञों ने गहराई से समझा और यह पाया कि महिलाएं अपने कारण नहीं वरन् सामाजिक व्यवहार के कारण पिछड़ रही हैं। जब तक सामाजिक परिवेश को बदलकर न्यायोचित एवं मानवोचित परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर दिया जाता तब तक न तो महिलाओं की दशा सुधारी जा सकती है और न ही राष्ट्र के विकास में उनके बेहतर योगदान की अपेक्षा की जा सकती है।

इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता पश्चात् महिला उन्मुख वातावरण के निर्माण पर बल दिया गया। साथ ही महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए अधिनियमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिन्दू विवाह

अधिनियम (1955), वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम (1956), हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1995) सन् (2005) में संशोधित, कारखाना अधिनियम (1958), 1986 में संशोधित, दहेज निषेध अधिनियम (1961) सन् 2012 में संशोधित, प्रसूति-प्रसुविधा अधिनियम (1961), भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम (1969), भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम (2001), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) विधेयक (2012) और महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक (2013) मुख्य हैं।

महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए समय-समय पर निम्न योजनाओं को क्रियान्वित करती रही है—

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल— कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए होस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972-73 से चल रही है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं (अकेली कामकाजी महिलाओं, ऐसी महिलाओं जिनके पति शहर से बाहर रहते हों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिलाओं आदि) रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं। अपने आरम्भ से ही देश भर में लगभग 67284 कामकाजी महिलाओं को लाभ प्रदान करते हुए स्कीम के तहत 902 होस्टलों को स्वीकृति दी गई है।

रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप)— महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप) 1986-87 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परम्परागत क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इसके लिये उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन सम्बन्धी संपर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के 10 परम्परागत क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं— कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मछली पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग, रेशम कीट पालन, परती भूमि विकास और सामाजिक वानिकी।

स्वावलंबन— स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नौराड/महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, 1982-83 में समूचे देश में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य समूहों में गरीब

और जरूरतमंद महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को शामिल करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्वायत्त संगठनों, न्यासों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

स्वयंसिद्धा— 12 जुलाई, 2001 को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंसिद्धा योजना स्वयंसहायता समूह आधारित योजना है। पूर्व में चल रही इन्दिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को मिलाकर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है। योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसे देश के 650 विकासखण्डों में संचालित किया गया। योजना के तहत 69615 स्वयंसहायता समूहों का गठन किया गया है जिनके 10.02 लाख महिला सदस्य हैं।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति— राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 भविष्य के लिए महिलाओं की अनुभव की गई जरूरतों का समाधान करने और उनकी उन्नति, विकास और सशक्तीकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित एक कार्ययोजना के तौर पर बनायी गई थी।

स्वधारा— वर्ष 2001-02 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वधारा योजना शुरू की गई जोकि कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए बनाई गई। इस योजना के तहत परित्यक्त महिलाएं, विधवाश्रमों में रह रही निराश्रित महिलाएं, प्राकृतिक आपदा में ज़िंदा बच गई निराश्रित महिलाएं और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित महिलाएं इस योजना की पात्रा हैं। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श व्यवस्था शामिल हैं। इस समय देश में 311 स्वधारा गृह कार्य कर रहे हैं।

स्वर्णिम योजना— भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु जो गरीबी-रेखा के नीचे परिवारों की है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2002 में संचालित की गई। इसके अंतर्गत 50 हजार रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर उन्हें ब्याज की दर मात्र 4 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इन महिला उद्यमियों को ऋण वापस करने हेतु 12 वर्ष की लम्बी अवधि तय की गई है।

महिला समाख्या योजना— इस कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना तथा क्रियान्वित करवाना है। इनके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित किया जाता है ताकि वे

परम्परागत और रुढ़िवादी विचारों से ऊपर उठकर समर्थ और निर्णय लेने वाली सशक्त नारी की भूमिका निभा सकें।

आशा योजना

इस योजना की शुरुआत 11 फरवरी, 2005 को की गई। योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती का प्रावधान है। योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों में लागू किया गया है।

बालिका समृद्धि योजना— 2 अक्टूबर, 1997 से आरम्भ इस योजना में 15 अगस्त, 1997 के बाद जन्मी बालिका के परिवार को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला परिवार) बच्ची के जन्म के समय 500 रुपये की राशि (केवल दो लड़कियों तक) देने का प्रावधान है। इस बालिका के स्कूल जाने पर इस योजना में बालिका को एक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति पहली कक्षा के लिये 300 रुपये तथा दसवी कक्षा के लिए 1000 रुपये है।

स्वशक्ति— यह योजना 1998 में शुरू की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से यह योजना हरियाणा, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड में महिला विकास निगमों तथा स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य जीवन-स्तर में सुधार के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 57 जिलों के 1210 गांवों और शहरी बस्तियों में 17000 से अधिक स्वयंसहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। पूर्व में संचालित इन्दिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को स्वशक्ति में सम्मिलित कर दिया गया है।

अल्पावधि प्रवास गृह— अल्पावधि प्रवास गृह परियोजना की शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी। अब इसे अप्रैल 1999 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सौंप दिया गया है। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना तथा उनका पुनर्वास करना है।

परिवार परामर्श केन्द्र— 1984 से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चल रही इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक असहयोजन की समस्या से जूझ रही महिलाओं/बालिकाओं को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

निःशुल्क बालिका शिक्षा (इंदिरा गांधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना)— केन्द्र सरकार द्वारा 22 सितम्बर, 2005 को लिए गए निर्णयानुसार बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब माता-पिता की अकेली बेटी को छठी से बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्नातक स्तर की पढ़ाई (नॉन मेडिकल और नॉन इंजीनियरिंग) के लिए 500 रुपये प्रतिमाह और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स के लिये 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से परा-स्नातक शिक्षा प्राप्त करने पर 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है।

बालिका प्रोत्साहन योजना— वर्ष 2006-07 के वार्षिक बजट में घोषित इस योजना के अन्तर्गत कक्षा आठ पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रुपये एकमुश्त राशि दी जाती है।

किशोरी शक्ति योजना— वर्ष 2001 में केन्द्रीय सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया। इस योजना को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है— पहली योजना “गर्ल टू गर्ल एप्रोच” तथा दूसरी योजना “बालिका मंडल योजना”। पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए है।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन— केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की किशोरियों, गर्भवती और नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना— यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित की गई। इसके अन्तर्गत महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों के द्वारा अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराने के लिये योजना का संचालन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक बैंक द्वारा अपनी कुल ऋण राशि का 5 प्रतिशत भाग महिला उद्यमियों को आवश्यक रूप से प्रदान किया जाता है।

जननी सुरक्षा योजना— 1 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना पूर्व में चल रही मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप है। वर्ष 2005-06 के बजट में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के एक उपांग के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण

तथा शिशु जन्म उपरान्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना— 8 मार्च, 2003 से शुरू इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 18-50 वर्ष की आयु की ग्रामीण महिलाओं को गम्भीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं को जन्मजात अपंगता में सुरक्षा प्रदान करना है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना— केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े (ईबीबी) केवल ऐसे विकासखण्डों में लागू की जाएगी जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

महिला डेयरी विकास परियोजना— ग्रामीण महिलाओं को उनकी विषम स्थिति से उभारते हुए उनके आयअर्जक संसाधनों में वृद्धि, संपत्ति अर्जन, आत्मविश्वास, स्वावलंबन, शिक्षा, जागरूकता, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक और आर्थिक शोषण से रक्षा तथा महिलाओं का समग्र सामाजिक और आर्थिक उत्थान करते हुए उन्हें क्षेत्र के आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से महिला डेयरी विकास परियोजना की स्थापना की गई। इस परियोजना के अंतर्गत देश में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

वंदेमातरम् योजना— वंदेमातरम् योजना की शुरुआत केन्द्र सरकार द्वारा 2004 में की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को निजी चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय परामर्श तथा गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली पोषक औषधियां उपलब्ध करायी जाती हैं।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति— मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की शुरुआत केन्द्र सरकार द्वारा 2003 में की गई, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय में गरीब प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना है।

जैण्डर बजटिंग— महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों जैसे कई सामाजिक संसूचकों पर पुरुषों से पीछे हैं। इसलिए उनकी संवेदनशीलता एवं संसाधनों तक कम पहुँच होने के कारण उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्र सरकार ने इस महत्व को समझते हुए 2004-05 में “महिला-पुरुष समानता हेतु बजटिंग” मिशन के रूप में अपनाया। अभी तक 56 मंत्रालयों/विभागों ने जैण्डर बजटिंग गठित कर लिए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में संसद से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया गया। अप्रैल 2008 से यह योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार महिलाओं में सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।

‘चलो गांव की ओर’ कार्यक्रम— 3 फरवरी, 2006 को शुरू केन्द्र सरकार की इस योजना में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु उन्हें कानूनी अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहयोग और आर्थिक-सामाजिक उद्धार की विभिन्न योजनाओं से परिचित कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता लाना है।

उज्जवला योजना— महिलाओं की खरीद-फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास और फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केन्द्र प्रायोजित व्यापक स्कीम उज्जवला का शुभारंभ 4 दिसम्बर, 2007 को किया गया। इस योजना के पांच घटक हैं—रोकथाम, रिहाई, पुनर्वास, पुनः एकीकरण और स्वदेश भेजना। वर्तमान समय में कुल 207 परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें 104 पुनर्वास गृह शामिल हैं।

धनलक्ष्मी योजना— मार्च, 2008 में केन्द्र सरकार ने महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए ‘धनलक्ष्मी’ नामक योजना की शुरुआत की है। उसके तहत महिला शिशु के जन्म से लेकर इसके विवाह तक विभिन्न अवसरों पर निश्चित राशि का हस्तान्तरण उसके परिवार को किया जाएगा।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला)— भारत सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत 2010-11 में की। इसके अंतर्गत 11-18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख और जीवन कौशल के बारे में भी शिक्षित करने का प्रावधान है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— प्रसूता एवं दुग्ध-पान कराने वाली माताओं के लिए 2010-11 में यह नई योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले दो जीवित बच्चों के छह माह की आयु तक तीन किशतों में 4000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान छुट्टी की वजह से होने वाली वेतन हानि की प्रतिपूर्ति करना है ताकि उन्हें आर्थिक कारणों से गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक या उसके तुरन्त बाद काम पर न जाना पड़े।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन— केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करके भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल के रूप में 8 मार्च, 2010 को इसका गठित किया गया है। यह मिशन जहाँ कहीं भी उपलब्ध होता है सहभागी मंत्रालय की मौजूदा संरचनात्मक व्यवस्थाओं का प्रयोग करता है और क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थान, सीएसओ, केन्द्रीय और राज्य सरकारों विभागों आदि के साथ काम करता है।

महिला किसान सशक्तीकरण योजना— वर्ष 2010 में इस योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत कृषक महिलाओं और कृषि महिला मजदूरों को चयनित कर कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

प्रियदर्शिनी— आईएफएडी की सहायता से यह प्रायोजित परियोजना उत्तर प्रदेश के चार जिलों—श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर तथा बिहार के दो जिलों—मधुबनी और सीतामढ़ी के 13 ब्लॉकों में चलायी जा रही है। इसका उद्देश्य परियोजना क्षेत्र की महिलाओं और किशोरियों के कमजोर समूहों के समग्र सशक्तीकरण (आर्थिक और सामाजिक) हेतु महिला स्वसहायता समूहों के गठन और उन्नत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत एक लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है और परियोजना अवधि के समापन तक 2016-17 के दौरान 7200 स्वसहायता समूह बनाए जाएंगे।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून, 2011 को प्रारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत मुफ्त सेवा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं को दवाई एवं खाद्य, मुफ्त इलाज, जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून दिया जाना, घर से स्वास्थ्य संस्थान की सुविधा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम से माता एवं नवजात शिशुओं की रुग्णता और मृत्युदर में कमी आने की सम्भावना है।

स्त्री शक्ति पुरस्कार— भारतीय महिलाओं ने आजादी के बाद अनेक भूमिकाएं निभायी हैं और अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। इस प्रकार महिलाएं अपनी पहचान बनाएं जिससे अगली पीढ़ियों के लिए उनकी भूमिका प्रतिरूप बन सके। इस दृष्टि से भारत सरकार ने 1999 में स्त्री शक्ति के नाम से 5 पुरस्कार शुरू



किए—देवी अहिल्या होल्कर, कन्नगी, माता जीजाबाई, रानी गिडेनेलु जेलियांग और रानी लक्ष्मीबाई। वर्ष 2007 में स्त्री शक्ति पुरस्कार की उपश्रेणी में रानी रुद्रम्मा देवी का नाम भी जोड़ा गया। प्रत्येक पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

केन्द्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों में महिला विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परिवेश के निर्माण में सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। लेकिन विभाग के महत्व को देखते हुए 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास को वांछित गति प्रदान करना है। महिला अधिकार और उसकी आवाज को राष्ट्रीय-स्तर पर महत्व दिया जाए इसके लिए संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) की स्थापना की गई। वित्तीय संसाधन का अभाव महिला विकास को अवरुद्ध न कर दे इसलिए भारत सरकार ने मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की। संपूर्ण देश का ध्यान महिला अधिकारों के प्रति आकृष्ट करने के लिए एवं उनके गरिमामयी उत्थान के लिए वर्ष 2001 को “महिला सशक्तीकरण वर्ष” के रूप में मनाया गया।

मूल्यांकन

शायद ही आज कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां महिलाएं अपनी उपस्थिति का आभास न करा रही हो। सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर विगत छः दशकों के प्रयास पुरुषों के नजरिये में बदलाव लाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। फिर चाहे वह बदलाव बाध्यकारी नीतियों से या जागरुकता से ही क्यों न आ रहे हो। सामाजिक परिदृश्य में महिला मजबूर नहीं, मजबूत नजर आ रही हैं। अपने एवं परिवार से सम्बन्धित निर्णयों में वह काफी हद तक केन्द्रीय भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया है जिसमें वे संगठित होकर अपने सतत् विकास को प्राप्त कर रही हैं। महिला अधिकार की कसौटी पर खरी उतरने वाली पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के फैसले से अधिक महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। तदनुसार केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 27 अगस्त 2009 को संविधान की धारा 243घ को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया ताकि पंचायत के तीनों स्तर की सीटों और अध्यक्ष के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकें। पंचायती राज मंत्री ने 26

नवम्बर, 2009 को लोकसभा में संविधान (110वां) संशोधन विधेयक 2009 पेश किया। वर्तमान में लगभग 28.18 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस संशोधन विधेयक के बाद महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से भी अधिक हो जाने की आशा है।

ग्रामीण व शहरी निकायों में महिलाओं की सहभागिता को केवल उभारा ही नहीं है वरन् उनके लिए नेतृत्व के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। महिला अधिकारों ने सशक्तीकरण की दशा में जो बड़ा आधार तैयार किया है उसमें शिक्षा मील का पत्थर साबित हुई है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। अपनी क्षमताओं से महिलाओं ने रोजगार के सभी क्षेत्रों में न केवल दस्तक दे दी है वरन् मजबूती के साथ अपने अस्तित्व का आभास भी कराया है। कामयाबी की नई-नई मिसालें बन रही महिलाएं सशक्तीकरण के उदाहरण हैं। प्रत्येक स्तर पर उनकी आवाज को पहचान मिल रही है। इन्हीं अधिकारों की बदौलत सामाजिक बदलाव में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है जिसको पुरुष स्वीकार भी कर रहे हैं।

आज भी महिलाओं से जुड़े कानूनों का निर्माण पुरुष बाहुल्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जा रहा है जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है। अनेक प्रयासों के बावजूद व्यवस्थापिका में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया, जिसका कारण पुरुषों में भ्रांति है कि ऐसा कर देने पर उनका राजनीतिक वर्चस्व न केवल समाप्त हो जाएगा बल्कि लोकसभा और विधानसभाओं में उनके प्रवेश की संभावनाएं भी क्षीण हो जाएंगी। इसके साथ एक घबराहट यह भी है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं का अधिक से अधिक जुड़ना समाज को मातृसत्तात्मक न बना दे जिसके कारण पुरुष हाशिये पर न चला जाए।

बावजूद इसके महिला अधिकार और सशक्तीकरण भारतीय समाज की आवश्यकता है। किसी एक वर्ग को दबाकर विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाएं हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनकी तरक्की को किसी भय या शंका के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों वर्गों का दायित्व एक-दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देना होना चाहिए। जहां पुरुष मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, वहीं महिलाओं को भी बदलते परिवेश में उन दायित्वों का निर्वहन करना होगा जो अभी तक पुरुषों के लिए निर्धारित थे। महिलाओं के लिए यह राह मुश्किल अवश्य है किन्तु नामुमकिन नहीं।

(लेखक श्री अ.प्र.ब. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग), उत्तराखण्ड के
राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं।)

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

समावेशी विकास के लिए कौशल विकास जरूरी

— एल.सी.गोयल

आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण निर्धनों को आगे लाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी होना। विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, वित्तपोषण, रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इस अंतर को पाटने का काम करती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.50 करोड़ संभावित कामगार हैं। ठीक उसी समय, विश्व भर में वर्ष 2020 तक 5.70 करोड़ कामगारों की कमी होने का अनुमान है। इससे भारत के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिक लाभांश के रूप में परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास के बल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर दिया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की विशेषताएं

लाभकारी योजनाओं तक निर्धनों और सीमांत लोगों को पहुंचने में सक्षम बनाना

ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

समावेशी कार्यक्रम तैयार करना

सामाजिक तौर पर वंचित समूहों (अजा/अजजा 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, महिला 33 प्रतिशत) को अनिवार्य रूप से शामिल करना।

प्रशिक्षण से लेकर आजीविका उन्नयन पर जोर देना

रोजगार स्थायी करने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथ-प्रदर्शन के उपाय करना।

नियोजित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सहायता

नियोजन-पश्चात सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व-छात्र नेटवर्क तैयार करना।

रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल

कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी।





कार्यान्वयन साझेदारों की क्षमता बढ़ाना

प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने वाली नई एजेंसियां तैयार करके कौशल विकास करना।

क्षेत्रीय तौर पर जोर देना

जम्मू-कश्मीर (हिमायत), पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों (रोशिनी) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर देना।

स्तरीय सेवा वितरण

कार्यक्रम से जुड़ी सभी गतिविधियां स्तरीय संचालन प्रक्रिया पर आधारित होंगी जो स्थानीय निरीक्षकों द्वारा बताए जाने के लिए नहीं हैं। सभी प्रकार के निरीक्षण, भू-स्थैतिक प्रमाण, समय के विवरण सहित वीडियो/तस्वीरों द्वारा समर्थित होंगे।

कार्यान्वयन प्रारूप

डीडीयू-जीकेवाई एक तीन-स्तरीय कार्यान्वयन प्रारूप का अनुसरण करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय इकाई एक नीति निर्माता, तकनीकी सहायक और सुविधा एजेंसी के रूप में काम करती है। डीडीयू-जीकेवाई राजकीय मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां कौशल प्रदान करने और रोजगार परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती हैं।

परियोजना वित्तपोषण सहायता

डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से कौशल प्रदान करने वाली परियोजनाओं से जुड़े रोजगार के लिए वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रति व्यक्ति 25,696 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक वित्तपोषण सहायता के साथ बाजार की मांग का समाधान किया जाता है, जो परियोजना की अवधि और आवासीय अथवा गैर-आवासीय परियोजना पर आधारित है। डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से 576 घंटे (तीन माह) से लेकर 2304 घंटे (बारह माह) की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जाता है।

वित्तपोषण संबंधी घटकों में प्रशिक्षण के खर्च, रहने और खाने-पीने, परिवहन खर्च, नियोजन पश्चात सहायता खर्च, आजीविका उन्नयन और स्थायी रोजगार सहायता संबंधी खर्च में सहायता देना शामिल है।

परियोजना वित्तपोषण में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्राथमिकता।

विदेश में रोजगार

- **कैप्टिव रोजगार :** ऐसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अथवा संगठन जो मौजूदा मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

- **औद्योगिक प्रशिक्षण :** उद्योग जगत से सह-वित्तपोषण के साथ विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए सहायता प्रदान करना।
- **अग्रणी नियोक्ता :** ऐसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां जो 2 वर्षों की अवधि में कम से कम 10,000 डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षुओं के कौशल प्रशिक्षण और नियोजन का आश्वासन देती हैं।
- **उच्च ख्याति वाली शैक्षिक संस्था :** ऐसे संस्थान जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (एनएएसी) की न्यूनतम 3.5 ग्रेडिंग वाले हैं अथवा ऐसे सामुदायिक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित्तपोषित हो और डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए इच्छुक हो।

प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं

डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लम्बिंग, रत्न और आभूषण आदि जैसे अनेक 250 से भी अधिक ट्रेडों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण किया जाता है। केवल मांग-आधारित और कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का शासनादेश है।

प्रशिक्षण गुणवत्ता आश्वासन

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के माध्यम से भारत एक ऐसे राष्ट्रीय योग्यता कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत पर बल देता है, जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों को प्रशिक्षण से जोड़ता है। तदनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यक्रम (एनएसक्यूएफ) अधिसूचित किया है ताकि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय-स्तर की प्रणाली विकसित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर तुलनायोग्य योग्यता प्रणाली विकसित की जा सके।

मापन और प्रभाव

डीडीयू-जीकेवाई पूरे देश में लागू है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 610 जिले में कार्यान्वित की गई है। इसमें 50 से अधिक क्षेत्रों से जुड़े 250 से अधिक ट्रेडों को शामिल करते हुए 202 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की साझेदारी है। अब तक वर्ष 2004-05 से लेकर 30 नवंबर, 2014 तक कुल 10.94 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 8.51 लाख उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(लेखक ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव हैं)

शिक्षा से आएगी अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्कान

—नवनीत रंजन

भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का अल्पसंख्यक समुदाय पर बेहद सकारात्मक असर पड़ेगा। जागरुकता के अभाव में अभी भी अल्पसंख्यक समुदाय बालिका शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। शैक्षिक स्तर ऊंचा न होने का असर उनके जीवनयापन पर भी पड़ता है। बालक और बालिका के बीच शैक्षिक अंतर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के बीच एक गहरी खाई दिखती है। अल्पसंख्यक समुदाय की चंद बेटियों का नाम छोड़ दिया जाए तो देश की बड़ी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भी इनकी भागीदारी कम मिलती है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के शैक्षिक उत्थान की दिशा में भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान दूरगामी परिणाम देगा। दूसरी तरफ लैंगिक विभेदता भी कम होगी।

भारत सरकार की ओर से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए देश में बालिका शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने के साथ ही उनके संरक्षण की भी पहल की गई है। इस योजना में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे बालिकाओं को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से बल मिलेगा। साथ ही बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए चल रही मुहिम में समूचा समाज शिरकत करता नजर आएगा। खास बात यह है कि इस अभियान के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय में नई चेतना जागृत होगी। बहुसंख्यक के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के चेहरे पर भी मुस्कान दिखेगी। वे भी पढ़-लिखकर समाज की मुख्यधारा में कदमताल करती नजर आएंगी क्योंकि अभी तक अल्पसंख्यक समुदाय की तमाम बालिकाएं शैक्षिक स्तर पर पिछड़ी

हुई हैं। पिछड़ेपन की वजह से स्वावलंबन की दिशा में भी वे कदमताल नहीं कर पा रही हैं। मुसलमान देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, मगर तालीम के मामले में सबसे पिछड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बालिका साक्षरता का ग्राफ अन्य समुदाय की अपेक्षा काफी कम है। जो महिलाएं शिक्षित भी हैं वह समाज की मुख्यधारा से कटी हुई हैं। चंद महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान इस समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जब तक समाज में शिक्षा की अलख नहीं जगेगी और बेटियां उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी, तब तक संबंधित समाज के पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

विकास की दौड़ में मुस्लिम औरतों के पिछड़े होने की मूल जड़ अशिक्षा है। इतना ही नहीं अल्पसंख्यक-बहुल इलाके में बेटियों की संख्या में भी निरंतर गिरावट आई है। इससे साफ है कि यहां भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां मौजूद हैं। इन कुरीतियों के खात्मे के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान हथियार के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। इस अभियान में ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ाई गई है। ग्राम पंचायतों को जागरुकता की जिम्मेदारी देने के साथ ही निगरानी के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया है। यानी किसी भी ग्राम पंचायत में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि पाए जाने पर संबंधित सरपंच अथवा ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इससे अल्पसंख्यक-बहुल इलाके में जहां अभी तक ऐसी तमाम प्रथाएं काबिज हैं, उनके खात्मे की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा। बेटियों के सामाजिक विकास में



अल्पसंख्यक समुदाय भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को विभिन्न स्तरों पर संरक्षित करने के साथ ही उनका शैक्षिक उत्थान हो सकेगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति से जुड़ी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में 2007-08 के अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की सकल नामांकन दर 8.7 प्रतिशत थी जबकि गैर-मुस्लिम छात्रों की सकल नामांकन दर 16.8 प्रतिशत थी। अशिक्षा की वजह से ही उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। शादी के बाद शुरू होती है, घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी। फिर तो पढ़ाई का सवाल ही नहीं उठता है। आज भी मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं दे पाती हैं क्योंकि एक दशक पहले का ग्राफ इनकी अशिक्षा ही कहानी बयां कर रहा है। पर्दा-प्रथा इनके अनपढ़ रहने के कारणों में अहम है। ऐसे में इन्हें अक्सर घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है। अशिक्षित होने की वजह से वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान इस दिशा में सार्थक पहल साबित होगा। इस अभियान की ब्रांड अम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने भी पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान यह बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि यह अभियान उस समुदाय के लिए ज्यादा कारगर होगा, जहां अभी भी बालिका साक्षरता की दर काफी कम है। शिक्षा के अभाव में ही मुस्लिम समाज में मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया, जबकि देश में दूसरे समुदाय का मध्यम वर्ग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थान मुस्लिम समुदाय के बालकों के साथ ही बालिकाओं को भी शिक्षित करने की दिशा में अग्रसर हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में वह मुकाम नहीं मिल पाया है, जिसकी जरूरत है। इसके पीछे एक बड़ा कारण कमजोर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का होना है। देश में जहां 74 प्रतिशत लोग साक्षर हैं वहीं मुसलमानों में साक्षरता प्रतिशत सिर्फ 67 फीसदी है।

भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में संसद में पेश जस्टिस राजिन्दर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम आबादी के 62.2 प्रतिशत के पास कोई जमीन नहीं है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 43 प्रतिशत है। यहां तक कि शहरी इलाकों में 60 प्रतिशत मुस्लिम स्कूलों का मुंह नहीं देख पाते हैं। ग्रामीण इलाके की तस्वीर और चौकाने वाली हैं। ग्रामीण इलाके के सिर्फ 0.8 प्रतिशत और शहरों

में 3.1 प्रतिशत ही स्नातक हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की आबादी 13.43 प्रतिशत है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3 प्रतिशत, भारतीय विदेश सेवा में 1.8 प्रतिशत और भारतीय पुलिस सेवा में 4 प्रतिशत ही है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ महिलाएं अपने क्षेत्र में शौहरत हासिल किए हुए हैं। इसमें पहली महिला न्यायाधीश बी. फातिमा, राजनेता मोहसिना किदवई, नजमा हेपतुल्लाह, समाज-सेविका व अभिनेत्री शबाना आज़मी, सौन्दर्य की महारथी शहनाज हुसैन, नाट्यकर्मी नादिरा बब्बर, पूर्व महिला हाकी कप्तान रज़िया जैदी, टेनिस सितारा सानिया मिर्जा, गायन में मकाम-बेगम अख्तर, परवीन, साहित्य में नासिर शर्मा, इस्मत चुगताई, कुर्रतुलन हैदर सहित तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने कृतित्व से समाज के लिए नज़ीर बने हुए हैं, लेकिन समूची स्थिति की पड़ताल की जाए तो इनकी संख्या नाममात्र की है।

दरअसल शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के जरिए न सिर्फ सामाजिक विकास में सहायता मिलती है बल्कि यह रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्वालंबन की राह दिखाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होता है। इसी के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में भी यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विशेष सावधानी से व्यक्तियों के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के सामाजिक दोहन से रक्षा करेगा। संविधान का अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 और पूरी पांचवीं एवं छठी अनुसूची अनुच्छेद 46 में नियत उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधानों को प्रदर्शित करता है। इसी तरह अनुच्छेद 30(1) में अपनी इच्छा के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रावधान है।

सरकार की ओर से चला निरंतर प्रयास

हालांकि केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से महिला साक्षरता खासतौर से अल्पसंख्यक महिला साक्षरता दर बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित 'साक्षर भारत' कार्यक्रम न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों पर केन्द्रित किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यक्रम लागू करने के लिए जनगणना 2001 के आधार पर 50 प्रतिशत से कम महिला साक्षर दर वाले, देश भर के 26 राज्यों के 365 जिलों का चयन किया गया है। जिनमें लगभग 7 करोड़ निरक्षर, जोकि 15 वर्ष से ऊपर आयु के हैं, को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 6 करोड़ महिलाएं एवं एक करोड़ पुरुष हैं। साक्षर भारत के लक्ष्य समूह में मुस्लिम समुदाय के 20

लाख निरक्षर पुरुष एवं एक करोड़ निरक्षर महिलाएं शामिल हैं। इससे ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं में तालीम की जरूरत क्यों है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका है। 2012-13 के दौरान 9905 मदरसों और 23146 शिक्षकों को सहायता देने के लिए 182.49 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ऐसे क्षेत्र जहां उर्दू बोलने वाले लोगों की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक हो, वहां के सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। देश के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक-एक मॉडल कालेज स्थापित करने का फैसला किया गया है। इन 374 जिलों में से 67 जिले अल्पसंख्यक-बहुल हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के शैक्षिक स्तर सुधारने की दिशा में अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जबकि 23 दिसंबर 2011 को स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने की कोशिश की गई है। 5 मार्च 2012 को हुई एनएमसीएमई की स्थायी समिति और एनएमसीएमई की पांच उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इसके तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास एवं उर्दू भाषा के संवर्धन के तमाम प्रावधान किए गए हैं।

मुस्लिम महिलाओं की हालत सुधारने में कारगर होगा अभियान

आजादी के छह दशक बाद भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की दशा काफी खराब है। इसका मूल कारण है, इनका शैक्षिक स्तर खराब होना। बालिका शिक्षा का अभाव होने की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं। इन्हें बुनियादी हक तक हासिल नहीं हैं। तमाम इलाके में पुरातन परंपराएं जिंदा हैं। शिक्षा के जरिए इस संकट का खात्मा किया जा सकता है। इस दिशा में भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान कारगर साबित होगा। मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति पर गौर किया गया तो आंकड़ें काफी चौंकाने वाले सामने आते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार एक औसत मुस्लिम पुरुष और महिला दूसरे धर्मों के पुरुष और महिला के मुकाबले शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं। यह स्थिति देश के लगभग सभी राज्यों में है। शहरी मुसलमानों में साक्षरता की दर बाकी शहरी आबादी के मुकाबले 19 प्रतिशत कम है। सन् 2001 में भारत के कुल 7.1 करोड़ मुस्लिम पुरुषों में सिर्फ 55 फीसदी ही साक्षर थे। इसी तरह देश के विभिन्न हिस्से में रह रही 6.7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं में सिर्फ 41 फीसदी महिलाएं ही साक्षर थीं। इतना ही नहीं सचचर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्कूलों में मुसलमान लड़कियों की संख्या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से भी कम है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 100 मुस्लिम महिलाओं में से केवल एक मुस्लिम महिला स्नातक है। देश के हाईस्कूल स्तर पर मुसलमानों की उपस्थिति केवल 7.2 प्रतिशत है। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले मुसलमानों में केवल 16 प्रतिशत ही स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर पाते हैं। एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल न जाने वाले 6 से 13 साल के मुस्लिम बच्चों के समूह में 45 फीसदी लड़कियां हैं। राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में मुस्लिम लड़कियों की साक्षरता का स्तर सबसे खराब है। अध्ययन के अनुसार, सिर्फ 12.5 फीसदी मुस्लिम ही सह शिक्षा के पक्ष में हैं। मुस्लिम समुदाय में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत भी अन्य समुदाय की तुलना में कम है। मुस्लिम संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम लड़कों का अनुपात 56.5 फीसदी है, वहीं छात्राओं का अनुपात महज 40 प्रतिशत है। इसी तरह मिडिल स्कूलों में छात्रों का अनुपात 52.3 है तो छात्राओं का 30 प्रतिशत है।

रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना जरूरी

बालिका शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने से ही उनकी रोजगार में हिस्सेदारी बढ़ेगी। बीते एक दशक में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की हिस्सेदारी 51.7 फीसदी से बढ़कर 53.3 फीसदी हो गई, जबकि महिलाओं की 25.6 से घट कर 25.5 फीसदी रह गई। धार्मिक समूहों में रोजगार की स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अल्पसंख्यकों में बेरोजगारी की दर घट रही है, जबकि हिन्दुओं में स्थिर है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण मुस्लिमों में उपरोक्त अवधि में बेरोजगारी दर 2.3 से घट कर 1.1 फीसदी रह गई है। ईसाइयों में 4.4 से घट कर 3.9 तथा सिखों में 3.5 से 2.4 रह गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा सिखों में 1.1 फीसदी घटी है, लेकिन हिन्दुओं में 1.5 फीसदी पर स्थिर रही है। शहरों में बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत ऊंची होती है। कारीगरी के कामधंधों के कारण मुस्लिमों में 2004-05 के दौरान सबसे ज्यादा स्वरोजगार हुआ करता था। सबसे ज्यादा 69.6 ग्रामीण पुरुष एवं 75.5 फीसदी शहरी मुस्लिम पुरुष स्वरोजगार में लगे थे। लेकिन 2009-10 के आंकड़े चौंकाने वाले रहे। गांवों में स्वरोजगार में लगे मुस्लिम पुरुषों की संख्या में 17 एवं शहरों में करीब 26 फीसदी की कमी आई है। राहत की बात थोड़ी यही हो सकती है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं में स्वरोजगार की स्थिति सुधरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रतिशत 52.3 से बढ़ कर 64.9 तथा शहरों में 33.1 फीसदी से बढ़ कर 59.7 फीसदी हो गया है। ऐसी स्थिति में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हैं)

ई-मेल : dhanjichaurasiya4@gmail.com



वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - ४११ ००७

प्रबंध शिक्षण केंद्र

Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management

Centre for Management Education

(Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Government of India)

Chaturshingi, Savitribai Phule Pune University Road, Pune - 411 007 Tel. No. : 020-66221400/66221506/507/511, Telefax : 020-25537735

Website: www.vamnicom.gov.in e-mail : cme@vamnicom.gov.in



ADMISSION NOTICE PGDM - ABM : 2015-2017

Common Selection Process for VAMNICOM, Pune and URICM, Gandhinagar.

Applications are invited for admission to two years full time residential

POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT - AGRI BUSINESS & MANAGEMENT (PGDM-ABM) 2015-2017 BATCH

VAMNICOM, PUNE - 23rd Batch

The VAMNICOM, Pune is a National level Co-operative Management Institute under Ministry of Agriculture, Govt. of India. • Ranked one among the top five national level institutes in ABM

- Awarded as "Top Institute" by CSR, New Delhi
- Honoured with BSA & Dewang Mehta "B-School Leadership Award-2014".
- NCUI Scholarship for six Students.
- IFFCO Scholarship for three SC/ST Students
- VAMNICOM Scholarship
- CICTAB Meritorious Awards

PROGRAMME HIGHLIGHTS :

- Rigorous full-time residential programme
- Updated Course Structure.
- Case method pedagogy
- Summer Internship for eight weeks
- Separate hostels for Boys and Girls with internet connection in each room.
- Industry visit
- sufficient sporting facilities including gymnasium are available for student

PLACEMENT: 100% Highly successful placement in Private, NGOs, Public & Co-operative Organizations. • Summer Internship at Sri Lanka & Nepal for few students at institute's cost.

MOU with Vijaya Bank (PSU Bank) for Educational Loan.

URICM, Gandhinagar - 8th Batch

Udaybhansinhji Regional Institute of Co-operative Management, Gandhinagar is a regional level premier Management Institute catering to the training and education needs of Western India of the country under the same set-up

- AICTE approved PGDM-ABM programme is offered from 2008
- Personal Interview will be conducted separately, if required.
- Best infrastructure supported by well stocked library facilities, hostel facilities for boys and girls, internet connectivity, student activities.
- For further details, visit website. www.urimanager.org

VAMNICOM COMMON SELECTION PROCESS

ELIGIBILITY : Any Graduate from a recognized University, with minimum education of 15 years full time education (10+2+3) with at least 50% marks for General/OBC candidates and 45% for SC/ST candidates in graduation and having valid test scores of one of the

National Level Common Entrance Tests - CAT / MAT / XAT / ATMA / CMAT of AICTE. GMAT/GRE for foreign national candidates. These guidelines may get modified / subject to be modified depending upon AICTE guidelines from time to time.

Candidates appearing in forthcoming degree examinations can also apply subject to fulfillment of conditions by 15.8.2015 Reservation of seats for OBC (Non Creamy) /SC/ST/ Differently Aabled persons as per Govt. of India rules. Few seats are available for wards of NCCT / NCUI / VAMNICOM employees and co-operative sponsored candidates at VAMNICOM.

'The PGDM-ABM programme offered at VAMNICOM, Pune is approved by AICTE and recognized by Association of Indian Universities as equivalent to MBA degree

HOW TO APPLY

The Selection to PGDM-ABM programme is based on Entrance Examination comprising of (a) Written test - latest valid test score of CAT / MAT / XAT / ATMA / CMAT is acceptable (b) Group Discussion and (c) Personal Interview of VAMNICOM. Candidates can submit application online in VAMNICOM website and pay application fees of Rs. 500/-. The prescribed application forms may also be downloaded from the website and applied with valid score of CAT/MAT/XAT/ATMA/CMAT of AICTE and demand draft of Rs. 500/- in favour of Director VAMNICOM, Pune or through NEFT.

The last date for submission of filled-in Application is 31st March, 2015.

GD and PI will be conducted at select centres during April / May - 2015. For further details on admission, course structure and fee structure visit our website www.vamnicom.gov.in

GD & PI CENTRES

Bengaluru, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Gandhinagar, Jabalpur, Jaipur (Rajasthan), Kalyani (West Bangal), Nagpur, New Delhi, Patna, Panthnagar & Pune (Subject to adequate number of candidates opting in a particular centre)

The Institutions which are conducting CAT / MAT/ XAT/ ATMA / CMAT of AICTE have no role either in selection or conduct of the programme.

Prof. R. N. Reddy
Head of Centre

Dr. M.R.Joshi
Registrar

Er. Sanjeeb Patjoshi, I.P.S.,
Director , VAMNICOM & CICTAB

यूरिया का बढ़ता प्रयोग: समस्या और समाधान

—डॉ. वीरेन्द्र कुमार

आज कृषि वैज्ञानिक, विषय-वस्तु विशेषज्ञ और किसान

इस बात से सहमत हैं कि यूरिया के बढ़ते प्रयोग से भूमि के उपजाऊपन में कमी आई है। जैसे-जैसे खेती में यूरिया का प्रयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे फसलों में अनेक विनाशकारी बीमारियों व कीड़ों का प्रकोप बढ़ा है। यूरिया के प्रयोग के लिए उचित परामर्श प्राप्त न होना भी किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भूमि में यूरिया के असंतुलित प्रयोग से 'किसान का मित्र' समझे जाने वाले केंचुओं और अन्य लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में भी कमी आई है।

मिट्टी में उपस्थित अनेक सूक्ष्मजीव वास्तव में प्रकृति की ओर से दिया गया निःशुल्क खजाना है। ये सूक्ष्मजीव मृदा में होने वाली विभिन्न अपघटन तथा विघटन इत्यादि क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जिससे पोषक तत्व तथा खनिज लवण पौधों को उपलब्ध अवस्था में मिलते रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव-जन्तु मिट्टी को चूर्णित बनाकर उसमें हवा और धूप के आवागमन को आसान बनाते हैं तथा मृदा की जल-संरक्षण क्षमता बढ़ाते हैं। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि के उपजाऊपन

एवं फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, मौसम की विषमताएं तथा उत्पादकता में कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। साथ ही यूरिया के असंतुलित प्रयोग से वायु और जल प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही फसल उत्पादकता भी स्थिर है अथवा घट रही है। यूरिया के अनुचित और असंतुलित प्रयोग ने हरितक्रान्ति की सफलता पर सवालिया निशान लगा दिया है। कभी हरितक्रान्ति आवश्यक थी, परन्तु यूरिया का इतना अधिक उपयोग हो रहा है कि अब दुष्परिणाम स्पष्ट दिख रहे हैं। देश के अनेक कृषि क्षेत्रों में पौधों के लिए तीन मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटैश का प्रयोग एक अनिश्चित अनुपात में किया जा रहा है। किसी-किसी क्षेत्रों में तो यह अनुपात 9:2:1 है। स्वस्थ जीवन के लिए हम सबको स्वच्छ वायु, जल, भोजन, चारा, ईंधन, आवास और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की आवश्यकता जरूरी है। ये आवश्यकताएं कहीं न कहीं आधुनिक खेती से जुड़ी हुई हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया का फसलोत्पादन में अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। यूरिया के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग से उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तबदील हो रही है। यूरिया का इस्तेमाल किफायती दर से किया जाना चाहिए। फसल में दिए गए यूरिया का केवल 30-40 प्रतिशत ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जल व वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। भारत में अभी हर वर्ष 310 लाख टन यूरिया की खपत होती है। इसमें से 70 लाख टन



यूरिया आयात किया जाता है। इस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020 तक खाद्यान्नों का लक्षित उत्पादन 320 मिलियन टन प्राप्त करने के लिए 28.8 मिलियन टन पोषक तत्वों की जरूरत होगी। जबकि रासायनिक उर्वरकों द्वारा इनकी कुल उपलब्धता 21.6 मिलियन टन होगी। इस प्रकार 7.2 मिलियन टन के अन्तर को पूरा करने में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने वाले अन्य स्रोतों जैसे जैविक खादें, जैविक उर्वरक, फसल अवशेषों, हरी खादों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

वर्तमान परिवेश को देखते हुए मृदा को विभिन्न विकारों से बचाना अत्यंत आवश्यक है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति का नुकसान न हो सके। इसके लिए फसलों में प्रयोग किए जाने वाले यूरिया का अनुचित व असंतुलित मात्रा में बिना सूझ-बूझ के प्रयोग में कमी लाने की आवश्यकता है अन्यथा मृदा में उपस्थित लाभकारी जीवाणु और सूक्ष्म जीव-जन्तु विलुप्त हो जाएंगे और इनकी उपस्थिति में मृदा में होने वाली विभिन्न अपघटन तथा विघटन इत्यादि क्रियाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिससे पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधों को प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः फसलों से अच्छी गुणवत्ता की अधिक पैदावार लेने के लिए यूरिया के संतुलित प्रयोग की आवश्यकता है। इसके लिए फसलों में यूरिया के साथ-साथ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने वाले अन्य स्रोतों के प्रयोग की भी पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। अत्यधिक यूरिया के प्रयोग करने के बावजूद हमारे फसलोत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसका स्पष्ट कारण मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का अत्यधिक दोहन, सघन फसल प्रणाली व जीवांश की कमी के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है।

खेती में यूरिया का अनुचित प्रयोग पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गया है। परिणामस्वरूप धान के खेतों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों जैसे मीथेन व नाइट्रस आक्साइड का उत्सर्जन वातावरण में बढ़ जाता है जिसके दुष्परिणाम आज हम जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। जो अन्ततः मनुष्यों समेत सभी जीव धारियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। धान के खेतों में लगातार एक ही तरह के उर्वरकों मुख्यतः यूरिया का प्रयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। देश के किसान यूरिया के प्रयोग की इन दोषपूर्ण विधियों का विकल्प चाहते हैं। जिससे धान के खेतों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, बल्कि खेती में उत्पादन लागत में भी कमी आए। जिसे भावी पीढ़ी को पर्याप्त व शुद्ध खाद्यान्न के साथ सुरक्षित पर्यावरण भी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही कृषि प्रौद्योगिकियों में ऐसे सुधार

करने होंगे जो हमारे पर्यावरण को न केवल स्वस्थ बनाए रखें बल्कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी करें। हमें खेती में यूरिया का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। यूरिया पर निर्भरता कम करने व मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए हमें कम खर्चीली व उन्नत तकनीकों को अपनाना होगा। इस सम्बंध में संरक्षण खेती, नीम लेपित यूरिया, जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, धान उत्पादन की सिस्टम ऑफ राईस इंटेन्सिफिकेशन (एस.आर.आई.) तकनीक, धान उगाने की ऐरोबिक विधि, मूल्य संवर्धित नाइट्रोजन उर्वरकों व जैविक उर्वरकों के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अतः इन तकनीकों को किसानों में और अधिक लोकप्रिय बनाने की जरूरत है, ताकि संरक्षणपूर्ण प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से बेहतर पर्यावरण एवं खेती अधिक लाभप्रद हो सके।

यूरिया के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के दुष्परिणाम

- पिछले कई दशकों से देश के कई राज्यों में फसल उत्पादन हेतु यूरिया के अत्यधिक बढ़ते प्रयोग से वायु और जल प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- फसलों में यूरिया के अधिक व लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और गूदेदार होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इसके अलावा फसलों में रोगों/कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है।
- यूरिया के लगातार असंतुलित प्रयोग से कृषि भूमि का उपजाऊपन और उत्पादकता दोनों घटती जा रही हैं। आने वाले दिनों में यह समस्या ओर गंभीर हो सकती है। एक कृषि प्रधान देश के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का ऐसा तिरस्कार उचित नहीं है।
- केंचुए और मिट्टी में उपस्थित अनेक अन्य सूक्ष्म जीव वास्तव में प्रकृति की ओर से निःशुल्क दिया गया सबसे बड़ा खजाना है। ये लाभदायक जीव अपनी जैविक क्रियाओं से भूमि को पोषक तत्व तो देते ही हैं, साथ ही मिट्टी को भुरभुरा बनाकर उसमें धूप और हवा के आवागमन को सुगम बनाते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश यूरिया के बढ़ते प्रयोग से केंचुए विलुप्त होते जा रहे हैं।
- यूरिया का अधिक प्रयोग करने से मृदा में कुछ द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- यूरिया का बीजों के सीधे सम्पर्क में आने की स्थिति में बीजों की अंकुरण दर में कमी आ जाती है।

- दलहनी फसलों में अत्यधिक यूरिया का प्रयोग करने अथवा अधिक उर्वरता वाली भूमि में उगाने के फलस्वरूप जड़ों की ग्रन्थि निर्माण और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- देश के अनेक कृषि क्षेत्रों जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि में एक ही किस्म के रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया के अत्यधिक और अन्धाधुन्ध प्रयोग के परिणामस्वरूप उपजाऊ भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा तेजी से अम्लीय भूमि में तबदील होता जा रहा है।
- यूरिया के असंतुलित और अनुचित प्रयोग से पीने के पानी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि प्रयोग किए गए यूरिया का अधिकांश भाग भूमि में रिस कर या अन्य तरीकों से भूमिगत जल, नदियों, तालाबों और झरनों में मिल जाता है जिसके फलस्वरूप पानी के स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। साथ ही फसल उत्पादों में इन रसायनों की विषाकता भी बढ़ती जा रही है।
- यूरिया के बढ़ते प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता।
- यूरिया की बढ़ती कीमतों व उनके कम उत्पादन होने की वजह से लघु और सीमान्त किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि यूरिया की बढ़ती कीमतें उनकी पहुंच के बाहर हैं।
- यूरिया का अवशेष प्रभाव श्वसन तन्त्र व आहार तन्त्र को प्रभावित करता है। फसल उत्पादों में नाइट्रोजन मुख्यतः नाइट्रेट के अत्यधिक संचय के कारण बच्चों में ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। यह बीमारी धान उगाने वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। जहां पर धान की फसल में दिए गए यूरिया का अधिकांश भाग नाइट्रेट के रूप में भूमिगत जल में मिल जाता है। इसके अलावा प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों से उत्पन्न अमाइन्स के परिणामस्वरूप मनुष्यों में कैंसर होने की भी संभावना होती है।
- यूरिया से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस (नाइट्रस आक्साइड) वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रा वॉयलेट किरणों को रोकने में मदद करती है। अल्ट्रा वॉयलेट किरणों की वजह से मनुष्यों में त्वचा कैंसर हो जाता है।

खेती में यूरिया का प्रयोग कम करने के उपाय

निम्नलिखित उन्नतशील, कम खर्चीले व लाभदायक उपायों को अपनाकर खेती में यूरिया के अत्यधिक, अनुचित व असंतुलित प्रयोग को कम किया जा सकता है।

नीम लेपित यूरिया का प्रयोग— नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करने से न केवल उपज में बढ़ोतरी होती है, बल्कि यूरिया पर होने वाले खर्च में भी कमी की जा सकती है। इसके इस्तेमाल से कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में भी कमी की जा सकती है, क्योंकि नीम एक प्राकृतिक कीटनाशक है। नीम लेपित यूरिया का प्रयोग बढ़ने से यूरिया के आयात में कमी आयेगी, क्योंकि यह यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का मृदा में लीचिंग व डीनाइट्रीफिकेशन की क्रिया को कम करता है। खेती में नाइट्रीफिकेशन व यूरियेज अवरोधकों का प्रयोग करने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रीफिकेशन व डीनाइट्रीफिकेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। धान की खेती में नीम केक, थायोसल्फेट, जिंक कोटिड यूरिया, कैल्शियम कार्बाइड लेपित यूरिया, नीम तेल लेपित यूरिया और डाईसयान-डाईअमाइड इत्यादि उपयुक्त हैं।

इसके अतिरिक्त जलमग्न दशाओं में नाइट्रस आक्साइड और मीथेन गैसों के उत्सर्जन को कम करने में हाइड्रोक्वीनोन एक प्रमुख यूरियेज अवरोधक है। धान की खेती में उपयुक्त नाइट्रोजन अवरोधकों का प्रयोग करने पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यूरिया उर्वरक की अपेक्षा कम पाया गया। नाइट्रीफिकेशन अवरोधक नमी युक्त मृदा में अमोनियम ($\text{NH}_4 + \text{AN}$) नाइट्रोजन के विघटन की दर को कम कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप नाइट्रिक आक्साइड (NO_2) व नाइट्रेट (NO_3A) का निर्माण धीरे-धीरे होता है। इस तरह नाइट्रस आक्साइड (N_2O) का उत्सर्जन भी सीमित हो जाता है। अतः नाइट्रीफिकेशन अवरोधक धान की खेती से नाइट्रस आक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। नाइट्रीकरण अवरोधकों का मृदा से मीथेन गैस के उत्सर्जन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धान की खेती में दिए गए नाइट्रोजन उर्वरकों के ह्रास को कम करने और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए भी नाइट्रीफिकेशन अवरोधकों के प्रयोग की संस्तुति अनेक कृषि वैज्ञानिकों ने की है। आजकल बहुत से नाइट्रीफिकेशन अवरोधक जैसे अमोनियम थायोसल्फेट, थायोयूरिया, डाईसयानडाई एमाइड व नाइट्रीपायरिन बाजार में उपलब्ध हैं और इनका प्रयोग भी सुगम है। ये मृदा से उत्सर्जन होने वाली नाइट्रस आक्साइड को कम करने में भी उपयोगी पाए गए। नाइट्रीफिकेशन अवरोधकों की अधिक कीमत और उनकी कम उपलब्धता के कारण अभी तक ये उर्वरक किसानों में लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं। अतः इस सम्बन्ध में सरस्ते और आसानी से उपलब्ध नाइट्रीफिकेशन अवरोधकों के विकास की नितान्त आवश्यकता है।

जैविक उर्वरक

फसलों का अच्छा उत्पादन लेने में जैविक उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इनमें राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, पी.एस.बी., अजोला, वैसीकुलर माइकोराइजा, नील हरित शैवाल, बायो एक्टिवेटर आदि प्रमुख हैं। टिकाऊ खेती एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। जैविक उर्वरक कम खर्च पर आसानी से उपलब्ध हैं तथा इनका प्रयोग भी बहुत सुगम है। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से विभिन्न फसलों की उपज में 10 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गयी है। इनको एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन का मुख्य अवयव माना जाता है। राइजोबियम व एजोटोबैक्टर वायुमण्डल में उपस्थित नाइट्रोजन (78 प्रतिशत) को यौगिकीकरण द्वारा भूमि में जमा करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पी.एस.बी. मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं जिससे अगली फसलों को भी लाभ पहुंचता है। इसके अलावा जीवाणु उर्वरक पौधों की जड़ों के आसपास (राइजोस्फीयर) वृद्धिकारक हारमोन उत्पन्न करते हैं जिससे पौधों की वृद्धि व विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैविक उर्वरकों का चयन फसलों की किस्म के अनुसार ही करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों, शाकनाशियों व कीटनाशियों के साथ जैविक उर्वरकों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैविक उर्वरक प्रयोग करते समय पैकेट के ऊपर उत्पादन तिथि, उपयोग की अन्तिम तिथि व संस्तुत फसल का नाम अवश्य देख लें। प्रयोग करते समय जैविक उर्वरकों को धूप व गर्म हवा से बचाकर रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरकों के तैयार पैकेट सभी राज्यों में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों के सूक्ष्म जैव विज्ञान विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग व कृषि विज्ञान केन्द्रों से भी मुफ्त प्राप्त किए जा सकते हैं। जैविक उर्वरकों जैसे राइजोबियम कल्चर, पी.एस.बी. व एजोटोबैक्टर आदि का प्रयोग करने से यूरिया के प्रयोग में कमी की जा सकती है। इस प्रकार किसान अनावश्यक खर्च से भी बच जाएगा और मृदा उर्वरता को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

जैविक खाद

देश में प्रयोग की जाने वाली जैविक खादों में गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, वर्मी कम्पोस्ट, मुर्गी खाद, पशुओं के नीचे का बिछावन, सुअर एवं भेड़-बकरियों की खाद तथा गोबर गैस खाद प्रमुख हैं। साधारणतया गोबर एवं कम्पोस्ट की एक टन खाद से औसतन 5 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 2-5 कि.ग्रा. फास्फोरस एवं 5 कि.ग्रा. पोटेश मिल जाती है। परन्तु दुर्भाग्यवश हम इनका 50 प्रतिशत ही प्रयोग कर पाते हैं। अधिकतर गोबर का प्रयोग

किसान भाई उपलों के रूप में जलाने के लिए करते हैं। कुछ बायोडायनेमिक खादें जैसे गोमूत्र, हड्डी की खाद का प्रयोग भी खेती में किया जा रहा है। इसके अलावा चीनी मिल की खाद, सीवर की खाद व कार्पेट अवशिष्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष, खरपतवारों, शाक सब्जियों की पत्तियों एवं पशुओं के गोबर को मिलाकर केंचुओं की सहायता से बनाए हुए खाद को वर्मी कम्पोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। इस विधि द्वारा कार्बनिक अवशेषों को एक लम्बे ढेर में रखकर केंचुए आइसीनिया फीटीडा छोड़ दिए जाते हैं। करीब 45 दिन में वर्मी कम्पोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। जैविक खादें मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ मुख्य, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। किसी फसल में जैविक खादों की दी गई मात्रा का केवल 30 प्रतिशत ही प्रथम वर्ष में उपयोग होता है, शेष मात्रा अगली फसल द्वारा उपयोग की जाती है। जैविक खादों में ह्यूमिक पदार्थ होने के कारण मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। प्रयोगों द्वारा यह भी पाया गया कि रासायनिक उर्वरकों को जैविक खादों के साथ संयुक्त रूप से देने पर प्रयोग किए उर्वरकों की उर्वरक उपयोग दक्षता भी अधिक पाई गई है।

समन्वित पोषण प्रबंधन

समन्वित पोषण प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने वाले सभी संभव स्रोतों जैसे रासायनिक उर्वरक, जैविक खादें, जैविक उर्वरक, फसल अवशेष इत्यादि का कुशलतम समायोजन कर फसलों को संतुलित पोषण दिया जाए। इनसे मुख्य पोषक तत्वों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पौधों को धीरे-धीरे व लम्बे समय तक प्राप्त होते रहते हैं। सघन फसल प्रणाली के अन्तर्गत फसलें मृदा से जितने पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, उनकी क्षतिपूर्ति मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यूरिया का प्रयोग जैविक खादों, जैविक उर्वरकों, फसल अवशेषों, हरी खादों, कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट के साथ अच्छे परिणाम देता है। अतः भूमि की उर्वराशक्ति को बनाए रखने हेतु फसलों में यूरिया के साथ जैविक खादों एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस तरह यूरिया के अत्यधिक व अनुचित प्रयोग को कम करने हेतु एकीकृत पोषण प्रबंधन की सलाह दी जाती है। यह एक किफायती, पर्यावरण हितैषी और टिकाऊ उपाय है। अतः फसलोत्पादन की एक टिकाऊ व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूरिया पर निर्भरता कम करते हुए पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति के अन्य विकल्पों को पोषक तत्व प्रबन्धन में शामिल करने की आवश्यकता है। समन्वित पोषण प्रबंधन अपनाने से न केवल खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि इससे विविधापूर्ण खेती को



भी बढ़ावा मिलेगा। जिससे मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होगी। साथ ही विषैले कीटनाशकों व यूरिया के इस्तेमाल में कमी आयेगी। दुर्भाग्यवश समन्वित पोषण प्रबंधन तकनीक (आई.एन.एम.) पर्याप्त प्रचार-प्रसार के अभाव में किसानों में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पा रही है।

फर्टिफोर्टिफिकेशन

आज विश्व आबादी का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन, विटामिन ए और आयोडीन की कमी से भी ग्रसित हो रहा है। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनिसेफ इकाई के लिए कुपोषण टॉप अजेंडा में हैं। पारम्परिक पौध प्रजनन एवं आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी के द्वारा पोषक तत्वों जैसे आयरन व जिंक से भरपूर फसल उत्पादों का विकास करना जैव-समृद्धिकरण कहलाता है। फर्टिफोर्टिफिकेशन तकनीक द्वारा जिंक व सल्फर लेपित यूरिया के प्रयोग से अनाजों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। इससे एक तरफ नाइट्रोजन उपयोग दक्षता तो बढ़ती ही है। साथ ही यूरिया की मात्रा में भी कमी की जा सकती है। यह विधि सुगम, आसान व कम खर्चीली तो है, साथ ही परिणाम भी बहुत कम समय में मिल जाते हैं। इसके अलावा यूरिया का खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव करने से पोषक तत्वों मुख्यतः नाइट्रोजन के गैसीय, स्थिरीकरण व डिनाइट्रीकरण इत्यादि द्वारा होने वाले ह्रास को भी कम किया जा सकता है। आई.ए.आर.आई, नई दिल्ली में किए गए विभिन्न प्रयोगों में एक प्रतिशत जिंकलेपित यूरिया के प्रयोग से धान के दानों में जिंक की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी है। अतः इस तकनीकी को किसानों व प्रसार कर्मियों में लोकप्रिय बनाने की नितांत आवश्यकता है। फर्टिफोर्टिफिकेशन फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी।

दलहनी फसलों का प्रयोग

वर्ष में एक बार दाल वाली फसल अवश्य उगानी चाहिए। ज्वार, बाजरा व मक्का के बाद रबी में चना, मसूर व बरसीम लगाएं। दाल वाली फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की गांठें होती हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। उचित फसल चक्र अपनाकर भी मृदा उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। अनाज वाली फसलों के साथ दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। लघु एवं सीमान्त किसान नीम की खली व पत्तियां, फसल कटाई उपरांत फसल अवशेष खेत में दबाकर अपनी जमीन का उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भूमि में जीवांश पदार्थ की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही समृद्ध एवं टिकाऊ खेती के लिए किसानों का रुझान इस ओर किया जा सकता है। इसी प्रकार गेहूं की कटाई के बाद मूंग की फसल लेनी चाहिए। मूंग की फलियों की दो तुड़ाई करने के बाद फसल की जुताई कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके प्रयोग से मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जो अन्ततः सड़ने के बाद मृदा में मुख्य पोषक तत्वों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आपूर्ति करती है। इससे भूमि की उर्वराशक्ति तो बढ़ती ही है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। परिणामस्वरूप अगली फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस प्रकार भूमि की जल धारण क्षमता तथा फसलों में जल की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है।

यूरिया की मात्रा, प्रयोग विधि व समय

यूरिया का इस्तेमाल सही समय व सही मात्रा में करें। बुवाई पूर्व मृदा परीक्षण कराकर सिफारिशों के अनुसार ही यूरिया का प्रयोग करें। इससे मृदा स्वास्थ्य और उर्वराशक्ति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही यूरिया के अनावश्यक प्रयोग पर भी रोक लगेगी। यह सुविधा नजदीकी कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों व कृषि विज्ञान केन्द्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। फसलों की अधिक उपज लेने के लिए यूरिया के साथ-साथ देशी खाद व जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करें। यदि किसी कारण मृदा जांच न हो तो वहां फसल के लिए क्षेत्रीय सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। कम जीवांशयुक्त मृदाओं में 8-10 टन गोबर/कंपोस्ट खाद बुवाई के 15-20 दिन पहले डालकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें।

उदाहरणार्थ एक टन पैदावार होने पर मूंगफली की फसल मृदा से 58.1 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 19.6 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 30.1 कि.ग्रा. पोटाश का अवशोषण करती है। मूंगफली की अच्छी फसल के लिए सिंचित क्षेत्रों में 20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 50 कि.ग्रा. फॉस्फोरस व 40 कि.ग्रा. पोटाश/हे. की दर से प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः उत्तरी भारत की मृदाओं में जिंक व सल्फर



की कमी पायी जाती है। अतः इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए 20 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट व 200 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का प्रयोग बुवाई के समय करें। कैल्शियम की कमी वाली भूमियों में जिप्सम का प्रयोग अच्छी पैदावार लेने हेतु बहुत ही आवश्यक है। जिप्सम को पुष्पावस्था के समय पौधों के चारों ओर छिटक कर भी डाला जा सकता है। मृदा में सल्फर की कमी का मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जबकि कैल्शियम की कमी से मूंगफली में दानों का भराव ठीक से नहीं हो पाता है। अतः मूंगफली की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैश को क्रमशः अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट व पोटेशियम सल्फेट के रूप में देना लाभकारी पाया गया है। अच्छी पैदावार लेने हेतु उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा सिंचित व बरानी क्षेत्रों में बुवाई के समय सीडड्रिल द्वारा दें। नाइट्रोजन की शेष आवश्यकता हेतु इसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि वे फसलों में गोबर व कम्पोस्ट खाद या जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा संस्तुत की गई मात्रा से 20 कि.ग्रा./हे. की दर से कम कर दें। बलुई मृदाओं में नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्रा को तीन जबकि भारी मृदाओं में दो बार में देना चाहिए। जिसमें से आधी नाइट्रोजन बुवाई के समय सीडड्रिल द्वारा प्रयोग करें तथा शेष आधी नाइट्रोजन खड़ी फसल में प्रथम सिंचाई के बाद देनी चाहिए।

यूरिया का पर्णीय छिड़काव— मटर की अच्छी फसल लेने हेतु खड़ी फसल में फूल आने की अवस्था पर नाइट्रोजन का पर्णीय छिड़काव भी किया जा सकता है। यूरिया के पर्णीय छिड़काव से लगभग सभी फूल एक साथ आ जाते हैं तथा फसल पकने में 8-10 दिनों की बचत होती है। मटर में फूल आने की अवस्था पर यूरिया का छिड़काव करने से फलियों की पैदावार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही फलियां तुड़ाई की संख्या घट जाती है जिससे फलियां तुड़ाई में अनावश्यक खर्च भी बच जाता है। खेत भी अगली फसल के लिए समय पर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार गेहूं की फसल में यूरिया का पर्णीय छिड़काव बुवाई के 40-45 दिन बाद करें। साथ ही गेहूं की फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने पर 5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट व 20 कि.ग्रा. यूरिया को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में छिड़काव करें। लगभग 15 दिन बाद इसी तरह का घोल बनाकर दूसरा छिड़काव करें।

प्रचार एवं प्रसार

किसानों को समय-समय पर यूरिया के संतुलित प्रयोग के लिए उचित परामर्श देकर भी इनके दुष्प्रभावों को कम किया जा

सकता है। इसके लिए किसानों को यूरिया की उपयुक्त प्रयोग विधि व उनके प्रयोग करने के उचित समय की जानकारी देना अति आवश्यक है। डिप छिड़काव व फर्टीगेशन जैसी लाभदायक विधियों के बारे में बताया जाए। इस प्रकार प्रयोग किए गए यूरिया का पूरा-पूरा फायदा फसल को मिलेगा। साथ ही पर्यावरण में भी सुधार होगा। किसानों को यूरिया के असंतुलित प्रयोग के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। इसके लिए किसान सम्मेलन, किसान संगोष्ठी एवं किसान मेलों का आयोजन किया जा सकता है। सरकार, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को मिल-बैठकर, यह विचार करना होगा कि किस तरह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं, जिससे किसान खेती से अधिक उत्पादन लेने हेतु सिंचाई साधनों और नाइट्रोजन उर्वरकों मुख्यतः यूरिया का सोच-समझ कर प्रयोग करें। खेती में यूरिया के अंधाधुंध और अनुचित प्रयोग के सम्भावित खतरों से बचने के लिए अनुकूल नीतियां अपनानी होगी, तभी हम स्वच्छ पर्यावरण एवं टिकाऊ खेती की नींव रख सकते हैं। इसके लिए पूर्ण प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है ताकि किसानों का रुझान इस गम्भीर समस्या की ओर किया जा सके।

सारांश

यूरिया का अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग एक गंभीर समस्या है। इसका मृदा की उर्वराशक्ति और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अन्ततः किसान की आमदनी भी कम हो जाती है। इसके अलावा यूरिया का बढ़ता प्रयोग जल एवं वायु प्रदूषण को भी बढ़ाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि फसल उत्पादन में यूरिया का संतुलित उपयोग किया जाए और पोषक तत्व प्रबंधन में यूरिया के अतिरिक्त कार्बनिक खादों का भी समन्वित उपयोग किया जाए। यदि समय रहते हमने यूरिया के संतुलित प्रयोग पर विशेष जोर नहीं दिया तो भविष्य में गम्भीर खाद्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए असरदार कार्य व्यापक तौर पर करने की आवश्यकता है। भविष्य में खाद्यान्न आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता के लिए हमें खेती में यूरिया का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों से नए अनुसंधान पर जोर देने व विकसित तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लैब टू लैंड प्रोग्राम का भी जिक्र किया।

(लेखक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

ई-मेल : v.kumarnovod@yahoo.com

सेहत से भरपूर है अंजीर

—साधना यादव

अंजीर एक ऐसा फल है जो विभिन्न बीमारियों को दूर करने में सहायक है। विश्व के सबसे मीठे इस फल में बड़े ही औषधीय गुण हैं। इस वजह से प्राचीनकाल से इसका प्रयोग होता रहा है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के अलावा आयरन, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, फाइबर और क्लोरिन पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यह कैंसर से लेकर सेक्स समस्या के समाधान तक कारगर हैं। सूखे फल में चीनी की मात्रा लगभग 62 प्रतिशत तथा ताजे पके फल में 22 प्रतिशत होती है। इसकी गुणवत्ता को देखते हुए रोमवासी इस वृक्ष को भविष्य की समृद्धि का चिह्न मानकर इसका आदर करते थे। यही वजह है कि भारत के साथ ही दूसरे कई देशों में इसकी डिमांड दिनोंदिन बढ़ रही है।

अंजीर विश्व का सबसे मीठा फल है। अंजीर का फल पेड़ में ही पकता है। इसके फल पकने के बाद अपने आप नीचे गिर जाते हैं। पके फल को सुखाकर खाया जाता है। सूखे फल

को टुकड़े-टुकड़े करके या पीसकर दूध और चीनी के साथ खाया जाता है। भारत में मार्सेलीज, ब्लैक इस्चिया, पूना, बंगलौर तथा ब्राउन टर्की नाम की किस्में प्रसिद्ध हैं। इसमें मौजूद आयुर्वेदिक औषधीय गुणों की वजह से तमाम लोग इसे नियमित भोजन में शामिल किए हुए हैं। भारत में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे न सिर्फ सूखे मेवे के तौर पर सेवन किया जाता है बल्कि इसका स्वादिष्ट जैम भी बनाया जाता है। अंजीर की चटनी और मीठे अचार के रूप में प्रयोग करने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। सूखे फल में चीनी की मात्रा लगभग 62 प्रतिशत तथा ताजे पके फल में 22 प्रतिशत होती है। इसमें कैल्शियम तथा विटामिन ए और बी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके खाने से कब्जियत दूर होती है। खासतौर से जो लोग रात में नौकरी या व्यवसाय की वजह से देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए इसे काफी फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि रात में कम सोने की वजह से उनका भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता है। ऐसे में शरीर में पैदा होने वाले तमाम एंजाइम को कंट्रोल





करने में अंजीर में पाए जाने वाले तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतना ही नहीं जुकाम, फेफड़े के रोगों में पांच अंजीर पानी में उबाल कर छानकर यह पानी सुबह-शाम पीने से फायदा होता है। दमा जिसमें कफ (बलगम) निकलता हो उसमें अंजीर खाना लाभकारी है इससे कफ बाहर आ जाता है। डायबिटीज के रोगियों को दूसरे फलों की तुलना में अंजीर का सेवन खासतौर से लाभकारी होता है। अंजीर पोटेशियम का अच्छा स्रोत है जो रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अंजीर में मौजूद रेशा वजन को संतुलित रखते हुए मोटापे को कम करता है। साथ ही स्तन कैंसर और मेनोपॉज की तकलीफों को दूर करने में मददगार पाया गया है। सूखे अंजीर में फेनोल, ओमेगा-3, ओमेगा-6 होता है। यह फैटी एसिड कोरोनरी हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में मदद करता है। अंजीर में कैल्शियम बहुत होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। अंजीर में पोटेशियम ज्यादा होता है और सोडियम कम होता है इसलिए यह उच्च रक्तचाप की समस्या से भी बचाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के अलावा आयरन, तांबा, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, फाइबर और क्लोरिन पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं।

अंजीर की लंबाई करीब तीन फुट से 10 फुट तक होती है। इसका रंग हल्का पीला, गहरा सुनहरा या गहरा बैंगनी हो सकता है। इसके छिलके के रंग का स्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पर इसका स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहाँ उगाया गया है और यह कितना पका है। इसका पूरा का पूरा छिलका बीज और गूदे सहित खाया जा सकता है। अंजीर मध्यसागरीय क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम एशियाई मूल की एक पर्णपाती झाड़ी या एक छोटा पेड़ है। यह पाकिस्तान से यूनान

तक बहुतायत संख्या में पाया जाता है। प्राचीन समय में भी मिस्र के फैरोह लोगों को इसकी जानकारी थी। आजकल इसकी पैदावार ईरान, मध्य एशिया और अब भूमध्यसागरीय देशों में बड़े पैमाने पर हो रही है। प्राचीन यूनान में यह फल व्यापारिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि निर्यात पर पाबंदी थी। ग्रीसवासी इसे कैरिया कहते हैं। कैरिया एशिया माइनर का एक प्रदेश है। वहाँ अधिक मात्रा में होने की वजह से इसे उस प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है। रोमवासी इस वृक्ष को भविष्य की समृद्धि का चिह्न मानकर इसका आदर करते थे। वहाँ बाकायदा इस पेड़ की पूजा होती है। स्पेन, अल्जीरिया, इटली, तुर्की, पुर्तगाल तथा ग्रीस में इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है।

अंजीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व

कैलारी	49
प्रोटीन	0.579 ग्राम
फाइबर	2.32 ग्राम
कुल फैट	0.222 ग्राम
सैचुरेटेड फैट	0.0445 ग्राम
पॉलीअनसेचुरेटेड फैट	0.106
मोनोसेचुरेटेड फैट	0.049 ग्राम
सोडियम	2 मिग्रा
शर्करा	83 प्रतिशत
विटामिन	ए, बी, सी

अंजीर के प्रमुख औषधीय गुण

डायबिटीज

डायबिटीज रोगियों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि वह कौन-सा फल खाएं और कौन-सा न खाएं। ऐसे में तमाम डायबिटीज रोगी फल खाना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए अंजीर रामबाण है। वे अंजीर का सेवन करके न सिर्फ अपने आप को स्फूर्ति प्रदान कर सकते हैं बल्कि डायबिटीज का असर भी कम कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोटेशियम से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

मोटापा

भागमभाग भरी जिंदगी में मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जो रात में देर से पहुंचते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसे में उन्हें अपच की समस्या होती है। साथ ही अनहेल्दी भोजन की वजह से मोटापे की समस्या बढ़ने लगती है। ऐसे लोगों के लिए अंजीर फायदेमंद है। चूंकि अंजीर में फाइबर होता है। यह वजन कम करने में भी उपयोगी है। इसके सेवन से मोटापा दूर होता है। यह ओबेसिटी को कम करता है।

कब्ज

कहा जाता है कि कब्ज तमाम बीमारियों का घर है। कब्ज को दूर करने में अंजीर काफी फायदेमंद है। साधारण कब्ज की अवस्था में गरम दूध में सूखे अंजीर उबालकर सेवन करने से प्रातःकाल पेट साफ होता है। किसी प्रकार का बाह्य पदार्थ यदि पेट में चला जाए तो उसे निकालने के लिए अंजीर को अधिक मात्रा में सेवन करना उपयोगी होता है। आमतौर पर होता यह है कि कब्जियत के कारण जब मल आंतों में सड़ने लगता है, तब उसके जहरीले तत्व रक्त में मिल जाते हैं और रक्तवाही धमनियों में रुकावट डालते हैं जिससे शरीर के सभी अंगों में रक्त नहीं पहुंचता। इससे शरीर कमजोर हो जाता है एवं दिमाग, नेत्र, हृदय, जठर, बड़ी आंत आदि अंगों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर दुबला-पतला होकर जवानी में ही वृद्ध नजर आने लगता है। ऐसी स्थिति में अंजीर का उपयोग अत्यंत लाभदायी होता है। यह आंतों की शुद्धि करके रक्त बढ़ाता है एवं रक्त परिभ्रमण को सामान्य बनाता है।

ब्रेस्ट कैंसर

अंजीर में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। दरअसल सूखे अंजीर में एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। विनसन जे.ए. और उनके सहयोगियों के एक अध्ययन के अनुसार प्राकृतिक अंजीर में सूखे अंजीर की तुलना में कम एंटीऑक्सिडेंट्स के गुण होते हैं। इसमें दूसरे एंटीऑक्सिडेंट प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों की तुलना में ज्यादा एंटीऑक्सिडेंट होते हैं।

दिल संबंधी रोग

सूखी हुई अंजीर में ओमेगा3, ओमेगा6 और फेनोल पाया जाता है, जो दिल संबंधी रोगों की संभावना को कम कर देता है। यह फैटी एसिड कोरोनरी हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट गुण होने के कारण यह शरीर से फ्री-रैडिकल्स को दूर करने में मदद करता है जिससे रक्त कोशिकाएं स्वस्थ रह पाती हैं और दिल की बीमारी का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है।



हड्डियों की मजबूती

अंजीर में पाए जाने वाला कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसीलिए जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हैं उन्हें अंजीर खाने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोग कोशिश करें कि सुबह पेट खाली होने की स्थिति में अंजीर का सेवन करें।

सेक्स समस्या

अंजीर अमीनो एसिड्स का सबसे अच्छा स्रोत है जिससे कामेच्छा बढ़ती है। अंजीर खाने से सेक्स स्टैमिना भी बढ़ता है। अच्छी सेक्स लाइफ के लिए विटामिन बी6 और फॉलिक एसिड जरूरी होते हैं। फॉलिक एसिड शरीर को ऊर्जावान बनाता है जबकि बी6 हॉर्मोस को स्थिर बनाता है।

गले की सूजन

किसी कारण से गले में सूजन है अथवा गांठ बन गई है तो अंजीर से उसका आसानी से उपचार किया जा सकता है। सूखे अंजीर को उबालकर अच्छी तरह पीसकर यदि गले की सूजन या गांठ पर बांधा जाए तो शीघ्र ही लाभ होता है।

पेचिश

पेचिश वाले दस्तों के लिए अंजीर का काढ़ा बहुत उपयोगी होता है परन्तु काढ़ा बनाने के लिए उबालने से पहले इन्हें कुछ घंटे तक पानी में डालकर नरम कर लेना चाहिए और फिर तब तक पकाना चाहिए जब तक कि वे घुल ना जाएं।

बवासीर

अंजीर बवासीर में भी फायदेमंद है। बवासीर के निदान के लिए पांच सूखे अंजीर को पानी में भिगोकर रात को रख दें। सुबह अंजीरों को उसी पानी में मसलकर पी लें। इसी प्रकार सुबह अंजीर भिगोकर रात को उनका पानी पी सकते हैं। स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। इसी तरह अंजीर, काली द्राक्ष (सूखी), हरड़ एवं मिश्री को समान मात्रा में लेकर उसे कूटकर सुपारी जितनी बड़ी गोली बना लें। प्रतिदिन सुबह-शाम एक-एक गोली का सेवन करने से भी लाभ होता है।

एनीमिया

खून की कमी को दूर करने के लिए दो अंजीर को बीच से आधा काटकर एक गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दें। सुबह उठकर उसका पानी पीने और अंजीर खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। इसी तरह 4 अंजीर एवं 11 सूखी काली द्राक्ष को 100 से 200 मि.ली. गाय के दूध के साथ प्रयोग करने से भी फायदा होता है। एक उबाल आने पर वह दूध पी लें एवं अंजीर

तथा द्राक्ष को चबाकर खा जाएं। इससे भूख बढ़ती है एवं रक्त शुद्ध होता है। एक से दो महीने तक यह प्रयोग करें।

रक्तशोधक

अंजीर खून की खराबी दूर करता है। सूखे अंजीर का दूध एवं मिश्री के साथ लगातार एक सप्ताह सेवन करने से खून के विकार नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को होंठ, मुख फटने की शिकायत होती है उनके लिए ताजा या सूखा अंजीर बलदायक सिद्ध होता है। मुख के जख्मों में अंजीर का दूध लगाया जाता है। नियमित रूप से अंजीर पाक का सेवन रक्त की शुद्धि करता है।

रक्तस्राव

शरीर के किसी भी भाग से रक्तस्राव होता हो तो 2 से 6 ग्राम अंजीर को 50 मि.ली. पानी में भिगोकर पीस लें। इसके बाद उसमें 20 ग्राम दुर्वा घास का रस एवं 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह-शाम पियें। ज्यादा रक्तस्राव हो तो खस एवं धनिया के पाउडर को पानी में पीसकर ललाट पर एवं हाथ-पैर के तलुओं में लेप करें। इससे लाभ होता है।

मस्तिष्क दुर्बलता

बादाम तथा पिस्ता के साथ अंजीर का नियमित सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है, बुद्धि कुशाग्र तथा याददाश्त तेज होती है। पढ़ाई करने वाले बच्चों को अंजीर जरूर देना चाहिए। जिन बच्चों को भूलने की समस्या हो, उन्हें अंजीर का सेवन कराना चाहिए। करीब दो माह तक नियमित अंजीर का सेवन करने से भूलने की समस्या खत्म हो जाती है। दिमाग तेज हो जाता है।

खांसी

खांसी में अंजीर का शरबत बहुत फायदेमंद होता है। यह बलगम को पतला कर बाहर निकालता है तथा पुरानी से पुरानी

खांसी में भी फायदेमंद होता है।

हाइपरटेंशन

अंजीर हाइपरटेंशन की समस्या दूर करता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तब हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। हाइपरटेंशन की समस्या से निपटने के लिए अंजीर एक बहुत ही फायदेमंद फल है क्योंकि अंजीर में सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है जो हाइपरटेंशन की समस्या को दूर करता है।

कमर दर्द

महिलाओं में कमर दर्द की अक्सर समस्या रहती है। ऐसे में अंजीर उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। कमर दर्द से परेशानी होने पर सोंठ, अंजीर की छाल और धनिया को बराबर—मात्रा में लेकर उसे पानी में भिगोकर बारीक पीस लें और सुबह उस पानी को पी लें। इससे आपको कमर के दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा।

बहुमूत्रता एवं अल्पमूत्रता

अंजीर ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है जो बहुमूत्रता के शिकार हैं। जिन लोगों को बार-बार ज्यादा मात्रा में ठंडा एवं सफेद रंग का पेशाब आता हो, कंठ सूखता हो। शरीर दुर्बल होता जा रहा हो तो रोज प्रातःकाल 2 से 4 अंजीर खाने के बाद ऊपर से 10 से 15 ग्राम काला तिल चबाकर खाएं। इससे आराम मिलता है। इसी तरह मूत्राल्पता की शिकायत होने पर 1 या 2 अंजीर में 1 या 2 ग्राम कलमी सोडा मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाने से मूत्राल्पता में लाभ होता है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार एवं रिसर्च फ़ैलो हैं)
ई-मेल : skynpr@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप “कुरुक्षेत्र” पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई-मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है — वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110001, आप हमें लेख ई-मेल भी कर सकते हैं।

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

बेटियों के जन्म लेने पर लगाते हैं एक सौ ग्यारह पौधे

—चंद्रभान

राजस्थान के पिपलांत्री गांव ने “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” की दिशा में ऐसी अनूठी मिसाल कायम की है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। इस ग्राम पंचायत के लोग बेटी पैदा होने पर गांव में हर साल 111 पौधे लगाते हैं। साथ ही इन पौधों के संरक्षण की शपथ लेते हैं। इतना ही नहीं जब यह पौधा पेड़ बन जाता है तो वह ग्राम पंचायत की संपत्ति हो जाता है। इतना ही नहीं जिस भी परिवार में बेटी पैदा होती है, उससे 10 हजार रुपये लिए जाते हैं बाकि 20 हजार रुपये ग्राम पंचायत के लोग खुद चंदे के रूप में इकट्ठा करते हैं। इस तरह एकत्र 30 हजार रुपये 18 से 20 साल के लिए बेटी के नाम फिक्स कर दिए जाते हैं। यह पैसा बेटी की शादी अथवा उसकी उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इस ग्राम पंचायत को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इतना ही नहीं इस गांव में चली ‘बेटी बचाओ’ एवं ‘पर्यावरण संरक्षण’ की मुहिम पर डेनमार्क की ओर से लघु फिल्म बनाई जा चुकी है। पेश है ग्राम पंचायत की स्थिति बयां करती एक रिपोर्ट

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान को गति देने के लिए तमाम तरह की चल रही कवायदों के बीच राजस्थान का पिपलांत्री गांव नज़ीर बना हुआ है। यह एक ऐसा गांव है जो एक दशक पहले ही बेटी बचाने के अभियान में इस कदर जुटा कि आज उसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। राजस्थान का यह

गांव देश-समाज के लिए बेटियों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दे रहा है। इस गांव में बेटी पैदा होने पर हर साल 111 पौधे लगाए जाते हैं। साथ ही इन पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित परिवार उठाता है। इतना ही नहीं बेटी के नाम पर 30 हजार रुपये भी 21 साल के लिए जमा किए जाते हैं ताकि इस पैसे से बेटी





की शादी अथवा उसकी उच्चस्तरीय पढ़ाई पूरी हो सके। इससे जहां लड़कियों के प्रति सामाजिक नजरिए में बदलाव आया है, वहीं बड़ी तादाद में फलदार पेड़-पौधे लगने से इलाके में हरियाली और गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में चली इस नई हवा का असर अब समूचे प्रदेश में दिखने लगा है। इतना ही नहीं इस गांव में चली 'बेटी बचाओ' एवं 'पर्यावरण संरक्षण' की मुहिम पर डेनमार्क की ओर से लघु फिल्म बनाई जा चुकी है। पिपलांत्री में किए जा रहे इस अभिनव प्रयोग को पासपड़ोस के गांवों के लोग भी अपना रहे हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार की ओर से उन गांवों में पिपलांत्री की तस्वीर वरीयता के आधार पर दिखाई जा रही है, जहां अभी भी बालिकाओं की संख्या काफी कम है। ऐसे गांवों में पिपलांत्री के लोगों को ट्रेनर के रूप में भेजा जा रहा है।

उदयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित इस ग्राम पंचायत में प्रवेश करते ही अलग किस्म का नजारा दिखता है। संगमरमर की पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव को जहां प्रकृति ने अनोखा उपहार दिया है वहीं गांववासी भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को संवारते ही नजर आते हैं। करीब साढ़े आठ हजार आबादी वाली पिपलांत्री ग्राम पंचायत में सात राजस्व गांव हैं, जबकि 18 ढाणियां हैं। इस गांव में राजपूत, ब्राह्मण के साथ ही ओबीसी, एससी एवं एसटी जाति के लोग निवास करते हैं। इसमें करीब एक हजार एपीएल एवं दो सौ बीपीएल परिवार हैं। गांव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जबकि प्राइमरी स्कूल दस हैं। गांव में नौ आंगनवाड़ी सेंटर एवं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। किसान सेवा केंद्र, पटवार भवन के साथ ही ग्राम पंचायत में ही महात्मा गांधी लाइब्रेरी भी खोली गई है। इस लाइब्रेरी में हर तरह की पुस्तकें हैं। शाम को यहां तमाम लोगों का जमावड़ा होता है और गांव से लेकर देश-दुनिया तक की बातें होती हैं। ग्राम

पंचायत में 16 कम्युनिटी भवन भी बनवाए जा चुके हैं।

पेयजल के लिए हैंडपंप की व्यवस्था है तो वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम भी यहां अपनाया जाता है। ग्राम पंचायत में दो हर्बल गार्डन भी बनाए गए हैं। यहां ग्राम पंचायत भवन में एयर-कंडीशनर व एलसीडी टीवी की व्यवस्था है। ग्रामसभा में सदस्यों की उपस्थिति शत-प्रतिशत होती है। इस तरह देखा जाए तो यह ग्राम पंचायत सभी सुविधाओं से मुकम्मल है। इस ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति द्वारा "निर्मल ग्राम" का पुरस्कार दिया जा चुका है। ग्राम

पंचायत में रहने वाले नागरिकों में सभी का आपस में बड़ा ही मेलजोल है। इसका असर ग्राम पंचायत में घुसते ही दिखाई पड़ता है। पिपलांत्री गांव में प्रवेश करते ही चारों तरफ हरियाली दिखती है। यहां बालकों के साथ ही बालिकाएं भी स्कूल ड्रेस में खिलखिलाते हुए जाती मिलती हैं। पढ़ाई के बारे में पूछने पर गांव की रीता, संजू और जमनी ने जवाब दिया कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी इंडिया। गांव में आगे बढ़ने पर प्राथमिक विद्यालय मिलता है। इस विद्यालय में स्वच्छता की तस्वीर बेहद खुशनुमा है। दीवारों पर प्रेरणादायक स्लोगन लिखे हुए हैं। इसके जरिए बेटियों को बचाने, पढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत में चारों तरफ हरियाली दिखती है। इस ग्राम पंचायत में स्वजलधारा योजना के तहत हर घर में जनसहयोग से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। रात होते ही गांव-गली में स्ट्रीट लाइटें जगमगा उठती हैं। स्ट्रीट लाइट का बिजली बिल ग्राम पंचायत अदा करती है। सामुदायिक शौचालय बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कम से कम पानी का उपयोग करना पड़े। इसके लिए सेप्टी टैंक की बजाय सोखतापिट सिस्टम अपनाया गया है। गांव में तमाम ऐसे कार्य भी हुए हैं, जिसमें स्थानीय लोगों ने दान दिया है। इन दानदाताओं के नाम स्पष्ट अक्षरों में संबंधित कार्य पर लिखे हुए हैं।

निर्मल, आदर्श एवं जाग्रत ग्राम पंचायत का पुरस्कार हासिल करने वाले पिपलांत्री में "बेटी बचाओ" अभियान के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। इसकी शुरुआत तत्कालीन सरपंच श्यामसुंदर पालीवाल ने अपनी बेटी की याद में की। वह बताते हैं कि उनकी दो बेटियों में एक की मौत हो गई। बेटी का उन्हें गहरा आघात लगा। फिर उन्होंने तय किया कि क्यों न जिस तरह से वह बेटी को पालते हैं उसी तरह से पौधे लगाए और उसका पालन-पोषण करें। पहले साल उन्होंने अकेले 111 पौधे



लगाए। आज वह सभी पौधे पेड़ बन चुके हैं। इसके बाद तय किया ग्राम पंचायत में जिसके भी बेटी पैदा होगी वह परिवार पौधे लगाएगा। इस प्रस्ताव को ग्राम पंचायत की बैठक में रखा तो पहले अजीब लगा, लेकिन बेटी बचाने के इस अभियान का फंडा सभी सदस्यों को रास आया। सभी वार्ड में बड़ों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद तो इसने अभियान का रूप ले लिया। श्यामसुंदर पालीवाल बताते हैं कि उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि वे अपनी बेटी की याद में जो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, वह सभी को रास आएगा। लेकिन धीरे-धीरे यह अभियान रंग जमाने लगा है। पूर्व सरपंच श्यामसुंदर पालीवाल बताते हैं कि उनके द्वारा शुरू किया गया यह अभियान आज भी बदस्तूर जारी है। यह देखकर उन्हें अपार खुशी होती है। अपने घर के पास लगे पेड़ को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, उस नीम के पेड़ की डालिया इस कदर सिर हिला रही हैं, जैसे उनकी बेटी खिलखिला रही है।

अपनी योजना के बारे में बताते हुए पालीवाल कहते हैं कि ग्राम पंचायत में पास किए गए प्रावधान के तहत हर साल एएनएम सेंटर से यह लिस्ट ली जाती है कि हमारी ग्राम पंचायत में इस साल कितनी बेटियां पैदा हुईं। फिर जिस परिवार में बेटी पैदा हुई होती है, उस परिवार को बुलाया जाता है। जैसे एक साल में ग्राम पंचायत में 10 बेटियां पैदा हुईं तो उन दसों परिवार के लोगों को बुलाया जाता है। उनका सम्मान करने के साथ ही उन्हीं के हाथों 111 पौधे लगवाए जाते हैं। ग्राम पंचायत के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। इसमें तमाम भामाशाहों की मदद ली जाती है। फिर बेटी के परिवार से 10 हजार रुपये का चंदा लिया जाता है। इसके बाद हर बेटी के नाम से 30 हजार रुपये की फिक्स डिपॉजिट करवाई जाती है। यह एफडी 18 से 21 साल के लिए होती है। इस रकम से लड़की के माता-पिता चाहें तो बेटी की शादी करें अथवा उसकी उच्च शिक्षा में खर्च करें। इसके साथ ही संबंधित परिवार से एक शपथपत्र लिया जाता है। इस शपथपत्र में शपथ दिलाई जाती है कि परिवार का कोई भी सदस्य कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेगा, बेटी के जन्म पर रोपे गए पौधे की देखभाल संबंधित परिवार करेगा और जब यह पौधा पेड़ का रूप ले लेगा तो वह ग्राम पंचायत की संपत्ति हो जाएगा। यह भी शपथ दिलाई जाती है कि परिवार का कोई भी सदस्य बाल विवाह नहीं करेगा। बेटियों को नियमित तौर पर स्कूल भेजेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच रहे देवीदास कहते हैं कि पूर्व सरपंच पालीवाल ने जिस अभियान की शुरुआत की थी, वह निरंतर जारी है। इस बार ग्राम

पंचायत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायत के लोगों की कोशिश होगी कि ऐसा सरपंच चुना जाए, जो भविष्य में भी ग्राम पंचायत में चलाए जा रहे 'बेटी बचाओ' अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाता रहे। वहीं ग्रामीण पेमाराम कहते हैं कि सरपंच कोई भी हो, लेकिन ग्राम पंचायत में बेटियों को बचाने के लिए चली मुहिम थमने वाली नहीं है। क्योंकि यह मुहिम पिपलांत्री ही नहीं आसपास के तमाम लोगों की जिंदगी से जुड़ गई है।

साल-दर-साल बढ़ रहा है कारवां

ग्राम पंचायत पिपलांत्री में वर्ष 2005 में शुरू हुआ यह अभियान दिनोंदिन आगे बढ़ता जा रहा है। बेटियों के प्रति यह स्वीकार-भाव पर्यावरण संरक्षण के अभियान का भी रूप ले चुका है। ग्राम पंचायत में करीब चार लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। गांव की सरमीबाई कहती हैं कि जब इस गांव में ब्याह कर आई थीं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा वातावरण मिलेगा, लेकिन इस ग्राम पंचायत में आकर वह ईश्वर को धन्यवाद देती हैं क्योंकि यहां न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चल रही है बल्कि बेटियों को बचाने के लिए हर परिवार आगे रहता है। सरमीबाई कहती हैं कि जब उन्हें बेटी पैदा हुई तो मन में कई तरह की शंकाएं थीं, लेकिन बाद में गांव में समारोह हुआ और उनकी बेटी के भविष्य के लिए 30 हजार रुपये भी जमा करा दिए गए। उन्होंने अपने हाथों से बेटी के नाम पर नीम का पेड़ लगाया, जो अब उनकी बेटी के साथ ही बढ़ रहा है। बेटी को गांव में ही पढ़ने के लिए स्कूल मिल गया है और गांव में ही शौचालय की भी व्यवस्था है। इस गांव में सारी सुविधाएं हैं। गांव की महिलाएं भी मिलजुलकर रहती हैं। यह देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। काश हमारे देश के सारे



गांव ऐसे हो जाते तो बेटियां किसी पर बोझ न समझी जाती।

औषधीय पौधे से शुरू हुआ रोजगार

तमाम बड़े पेड़ों को लगाए जाने के बाद यहां औषधीय पौधे भी लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोग नीम, आम आदि के पेड़ के बाद अब एलोवेरा के पेड़ लगा रहे हैं। यहां एलोवेरा के साथ ही आंवले के भी पौधे लगाए जाते हैं ताकि भविष्य में इनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो सके और इससे होने वाली आय ग्राम पंचायत के विकास में खर्च की जाती है। पहाड़ियों पर रक्तचंदन, नागकेसर, रुद्राक्ष, चीकू, सिंदूर के विभिन्न फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए हैं। चारागाह की ज़मीन पर लगाए गए औषधीय पौधों की तादाद भी करीब 25 लाख है। ग्रामीणों ने इसके जूस का उत्पादन शुरू कर दिया। अब यह आय के अच्छे स्रोत में तब्दील हो गया है। यहां वंडर जैल के नाम से मशहूर एलोवेरा के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। एलोवेरा के जूस के अलावा क्रीमी, जैल और अचार का उत्पादन होता है। इससे होने वाली आय गांव के विकास में काम आ रही है। कई परिवार भी इस काम को कर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं।

डेनमार्क ने बनाई डाक्यूमेंट्री

पिपलांत्री के वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ने देश को ही नहीं बल्कि विदेशों को भी आकर्षित किया है। यही वजह है डेनमार्क के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पिपलांत्री की केस स्टडी पढ़ायी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए डेनमार्क मास मीडिया यूनिवर्सिटी की दो स्टूडेंट्स क्रिस्टीन और रेक्की ने 10 से 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसके लिए दोनों ने 12 दिनों तक पिपलांत्री में शूट किया है। रेक्की के मुताबिक यूनिवर्सिटी की ओर से भारत के दो प्रोजेक्ट चुने गए थे। एक साउथ इंडिया की तलवारबाजी सिखाने वाले स्कूल पर आधारित है तो दूसरा प्रोजेक्ट पिपलांत्री गांव का।

विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधिमंडल ने किया निरीक्षण

राजस्थान का पिपलांत्री गांव अपनी विभिन्न योजनाओं की वजह से इस कदर सुर्खियों में है कि विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधिमंडल वहां का मुआयना करने पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों बिहार के पंचायती राज मंत्री के नेतृत्व में अफसरों के दल ने दौरा कर चारागाह व जलग्रहण विकास के तहत हुए कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही 'बालिका बचाओ' अभियान के तहत किए जा रहे प्रयोगों की जानकारी ली। भ्रमण दल ने वहां विभिन्न प्रजातियों के विकसित फलदार व छायादार पौधों को देखा। दल ने डम्पिंग यार्ड में किया गया पौधारोपण भी देखा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में की गई व्यवस्थाओं और बालिका शिक्षा के लिए किए गई प्रेरक कार्यों की जानकारी ली। इसी तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों

व ग्रामीणों के दल ने भी ग्रामीण विकास के काम देखे। 194 सदस्यीय जनप्रतिनिधियों के दल ने गली-मोहल्लों में स्वच्छता, सफाई, घरों से गंदे पानी की निकासी सहित जलग्रहण के कार्यों को देखा। जलग्रहण कमेटी अध्यक्ष व पूर्व सरपंच श्यामसुन्दर पालीवाल से पंचायत की गतिविधियों व विकास के बारे में जानकारी ली।

अच्छे कार्यों का मिला फल

पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें पेड़-पौधों से लगाव था। जब बेटे की मृत्यु हुई तो इन्हीं पेड़-पौधों ने उन्हें शांति दी। दुख की घड़ी से बाहर निकलने में मदद की। इसके बाद उन्होंने पेड़-पौधों की संरक्षा का व्रत लिया, जो धीरे-धीरे कारवां में तब्दील हो गया। ग्राम पंचायत को वर्ष 2007 में पूर्व राष्ट्रपति कलाम के हाथों 'निर्मल ग्राम पंचायत' सम्मान एवं वर्ष 2008 में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों की वजह से पिपलांत्री ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम, पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला। राजस्थान सरकार ने उन्हें राज्य वन्य जीव सुरक्षा सलाहकार समिति का सदस्य चुना है। साथ ही पंचायती राज में गेस्ट स्पीकर का भी दर्जा प्रदान किया है। गांव से लेकर समूचे देश में उनके कार्य की प्रशंसा की जा रही है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे उनका समूचा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव प्रसन्न है। पुरस्कार के रूप में मिले पांच लाख रुपये के नगद पुरस्कार से एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम तैयार करने के मशीनरी प्लांट खरीदे गए।

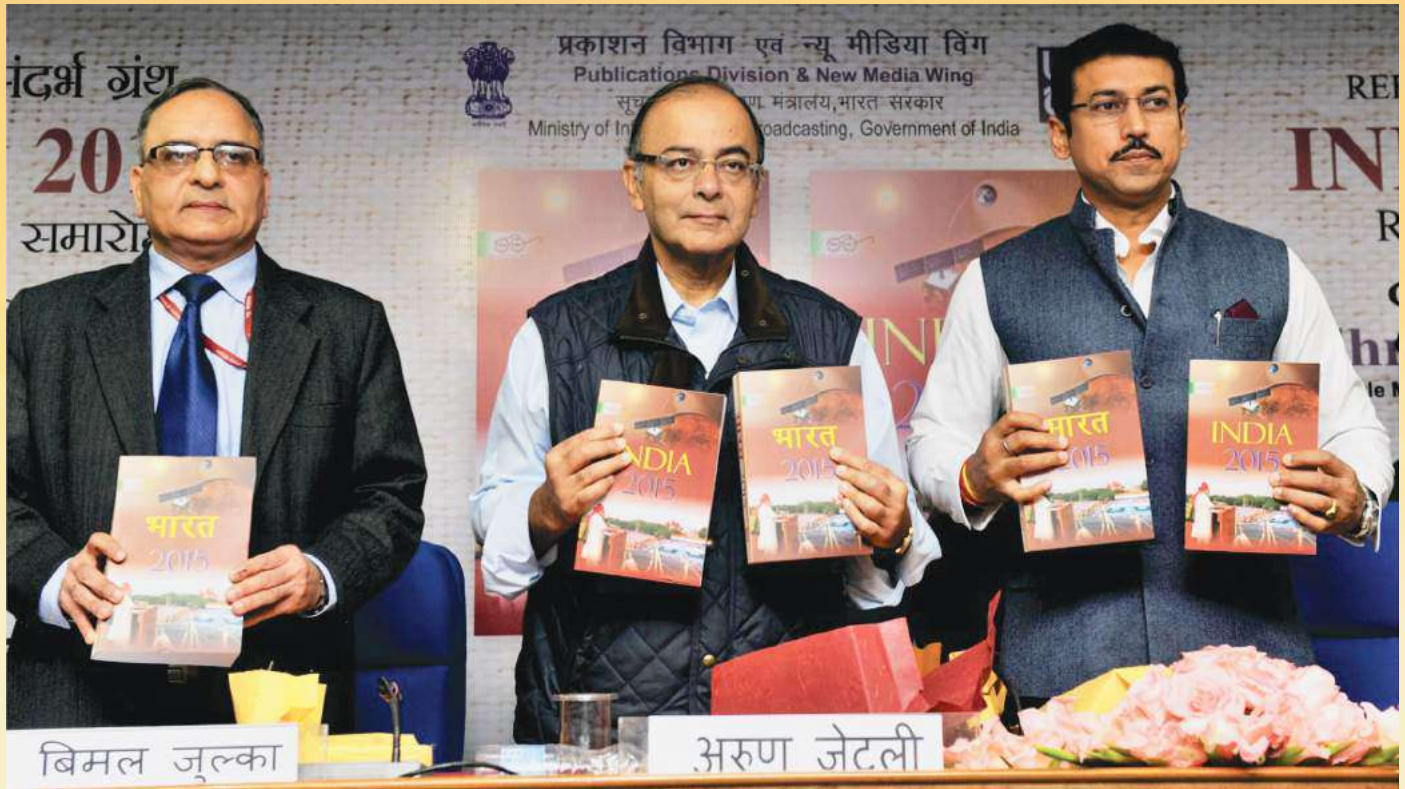
बुजुर्गों को याद रखने का अनोखा प्रयोग

इस ग्राम पंचायत में एक तरफ बेटियों को बचाने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं तो दूसरा एक नया अभियान भी शुरू हुआ है। गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोग उसकी याद में 11 पेड़ लगाते हैं और हमेशा के लिए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभालते हैं। ग्रामीण मदन सिंह कहते हैं कि उनके पिता का देहांत हुआ तो निश्चित रूप से दुख हुआ। मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर परिवार वालों के साथ मिलकर ग्राम समाज की ज़मीन पर पेड़ लगाया। इन पेड़ों को अपने बुजुर्ग पिता का नाम दिया और अब उनकी नियमित सेवा करता हूं। इससे मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। इतना ही नहीं इस ग्राम पंचायत में पेड़-पौधों के संरक्षण में महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं। रक्षाबंधन के दिन गांव की महिलाएं पेड़ों को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधती हैं और उनकी सुरक्षा का वचन देती हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : yachandrabhanyahoo.com

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ-इंडिया/भारत-2015 का लोकार्पण



सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली इंडिया/भारत-2015 का लोकार्पण करते हुए। साथ में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री बिमल जुल्का

“तकनीकी आयामों में आ रहे बदलावों के मद्देनजर मुद्रित प्रारूप में मौजूद पुस्तकों को डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराए जाने की बेहद ज़रूरत है।” वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया/भारत 2015 का लोकार्पण करते हुए सूचना एवं प्रसारण और वित्त तथा कारपोरेट मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि इंडिया/भारत 2015 का प्रकाशन भारत के विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय एवं अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने की महान परम्परा को परिलक्षित करता है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी इस अवसर पर मौजूद थे।

इससे पहले, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री बिमल जुल्का ने कहा कि इस साल के वार्षिक संदर्भ ग्रंथ की खास विशेषता यह है कि इसमें भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बारे में विशेष अध्याय दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा

कि अगले वर्ष से इस संदर्भ ग्रंथ का ई-संस्करण भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध समृद्ध ज्ञानवर्धक विषय-वस्तु के डिजिटलीकरण, पुरालेखन और संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। 9 फरवरी, 2015 को पत्र सूचना कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत प्रकाशन विभाग की अपर महानिदेशक एवं प्रभारी श्रीमती साधना राउत ने किया और धन्यवाद प्रस्ताव श्री एल. आर. विश्वनाथ, अपर महानिदेशक, न्यू मीडिया विंग द्वारा किया गया।

इंडिया/भारत-2015 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग द्वारा जुटाई गई सामग्री के आधार पर तैयार किया गया प्रकाशन विभाग का गौरवशाली ग्रंथ है। यह संदर्भ ग्रंथ 1957 से लगातार प्रकाशित हो रहा है जिसमें देश की प्रगति और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी समाहित होती है।

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2012-14

2 मार्च 2015 को प्रकाशित एवं 5-6 मार्च 2015 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2012-14

to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.



प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत अपर महानिदेशक एवं प्रमारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना